राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन

महेन्द्र सिंह राव

Budget Analysis Rajasthan Centre
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
प्लॉट नं. 62, गली न. 3, केशव नगर
सिविल लाइन्स, जयपुर (राज.)
ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाइट : www.barcjaipur.org

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े
किताब का संदर्भ देने पर ही प्रकाशित किये जाने योग्य।

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : अगस्त 2010

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : नित्य काँति एसोसिएट्स
राजापार्क, जयपुर

अनुक्रम

क्र. सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	तालिका एवं ग्राफ की सूची	**2**
	प्रस्तावना	**4**
1.	**भूमिका**	**5**
2.	**राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति** खाद्य सुरक्षा : संकल्पना राज्य में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति खाद्य सुरक्षा की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले प्रमुख वर्ग राज्य में खाद्य सुरक्षा के स्रोत राज्य में वन संसाधन एवं खाद्य सुरक्षा राज्य में खाद्य सुरक्षा के सरकारी उपाय राज्य में अनाज का आवंटन एवं उठाव भ्रष्टाचार, कालाबाजारी एवं जमाखोरी भोजन का अधिकार कानून	**7**
3.	**राज्य में खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली प्रमुख योजनाएं एवं बजट** सार्वजनिक वितरण प्रणाली समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम मिड–डे–मील कार्यक्रम विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना	**16**
4.	**सर्वे क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के स्रोत एवं इसको सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं की स्थिति** सर्वे क्षेत्र में चुने गये परिवारों में खाद्य सुरक्षा के स्रोत एवं स्थिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.) मिड–डे–मील (मध्याह्न भोजन) योजना [redacted]	**23**
5.	**निष्कर्ष**	**48**

तालिका एवं ग्राफ की सूची

क्र. सं.	विषय–वस्तु
1	राजस्थान में पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति
2	राज्य में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की तुलना
3	विभिन्न श्रेणियों हेतु वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य
4	ए.पी.एल. के अन्तर्गत अनाज का आवंटन एवं उठाव
5	बी.पी.एल. के अन्तर्गत अनाज का आवंटन एवं उठाव
6	भारत सरकार के कुल सरकारी व्यय में खाद्यान्न सब्सिडी का प्रतिशत
7	समन्वित बाल विकास सेवा कार्यकम के अंतर्गत लाभांवितों हेतु मानदंड
8	राज्य में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का बजट
9	राज्य में मिड–डे–मील कार्यक्रम का बजट
10	राज्य में विधवा पेंशन योजना का बजट
11	राज्य में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का बजट
12	राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु बजट
13	प्रतिदिन एक/दो/तीन–बार भोजन करने वाले परिवार
14	परिवारों की रोजी रोटी के साधन
15	वर्ष भर में खाद्य सुरक्षा के स्रोत
16	जिलेवार विभिन्न श्रेणी के परिवारों की संख्या
17	गांव में उचित मुल्य की दुकान की उपलब्धता
18	उचित मुल्य की दुकान का संचालन
19	उचित मुल्य की दुकान के माह में खुले रहने के दिन
20	उचित मुल्य की दुकान के एक दिन में खुले रहने के घंटे
21	राशन वितरण का समयान्तराल
22	अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी गेहूं की मात्रा
23	अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी केरोसीन की मात्रा
24	अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी शक्कर की मात्रा
25	निगरानी सदस्यों के बारे में जानकारी की स्थिति
26	राशन कार्ड एवं इसमें इन्द्राज की स्थिति
27	जॉब कार्ड एवं इसमें इन्द्राज की स्थिति
28	काम के लिये आवेदन एवं काम मिलने के संबंध में
29	महानरेगा योजना में रसीद प्राप्ति की स्थिति
30	कार्य की प्रकृति
31	मेट के संबंध में एवं दैनिक कार्यमाप प्रपत्र भरे जाने की स्थिति
32	कार्यस्थल पर सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	विषय–वस्तु
33	प्राप्त होने वाली मजदूरी (रुपये)
34	मजदूरी भुगतान का समयान्तराल
35	भुगतान की प्रकृति
36	पिछले वर्ष काम मिलने के दिन
37	पिछले वर्ष प्राप्त की गई मजदूरी (रुपये में)
38	इस वर्ष काम मिलने के दिन
39	इस वर्ष प्राप्त की गई मजदूरी (रुपये में)
40	मजदूरी में प्राप्त रुपयों का उपयोग
41	कार्यस्थल बोर्ड के बारे में जानकारी
42	सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में भाग लेने के संबंध में
43	बच्चों को वितरीत पोषाहार की स्थिति
44	गर्भवती महिलाओं को वितरीत पोषाहार की स्थिति
45	किशोरियों को वितरीत पोषाहार की स्थिति
46	गांव में आंगनवाडी भवन की उपलब्धता
47	आंगनवाडी भवन के एक माह में खुले रहने के दिन
48	आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या
49	आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण की स्थिति
50	आंगनवाड़ी केन्द्र पर शिक्षण संबंधी सामग्री की उपलब्धता की स्थिति
51	निगरानी समिति एवं भेदभाव की स्थिति
52	मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी
53	भोजन की पर्याप्तता एवं मैनु (बदल–बदल कर दिया जाना) की स्थिति
54	भोजन बनाने में बाहरी ऐजेंसी का प्रभाव
55	पेयजल की व्यवस्था एवं भेदभाव की स्थिति
56	शाला कमिटी का गठन
57	वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के लाभार्थी
58	राज्य में वन अधिकार हेतु दावों में वितरीत अधिकर पत्रों की स्थिति
59	सर्वे क्षेत्र में वन अधिकार हेतु दावों में वितरीत अधिकर पत्रों की स्थिति

प्रस्तावना

देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। देश में गरीबी, भूख एवं कुपोषण के आंकड़े बताते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रतिदिन दो वक्त का भोजन नही मिल पाता है। अत्यंत तीव्र आर्थिक वृद्धि, शेयर बाजार के उपर जाते आंकड़े, चमचमाती गाड़ीयों और मॉल्स की चकाचौंध में देश की एक बड़ी आबादी के भूखे और कूपोषित होने की बात हमारी सरकारों द्वारा अपनायी गई आर्थिक उदारीकरण और भुमंडलीकरण का अनिवार्य परिणाम लगता है। यह स्थिति तब है जब हमारी सरकारों ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत गरीबी और भूखमरी को वर्ष 2015 तक आधा करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। हांलांकि देश में, भारतीय खाद्य निगम के पास अनाजों का भंडार है, जो सही भंडारण व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़ रहा है तथा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अनाज सड़ाने के बजाय गरीबों में मुफ्त बांटने का निर्देश दिया है। वर्तमान में भारत सरकार एक खाद्य सुरक्षा कानून के मसौदे पर विचार कर रही है, लेकिन यह मसौदा काफी कमजोर और नाकाफी है।

ऐसे में आस्था एवं बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया। प्रस्तुत पुस्तिका, इस अध्ययन की रिपोर्ट है। खाद्य सुरक्षा की योजनाएं जिस प्रकार कार्य कर रही हैं तथा आदिवासी बहुल इन जिलों में जो स्थिति उभर रही है, वह देश में मजबुत तथा पर्याप्त खाद्य सुरक्षा कानून की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हमें आशा है कि सरकार देश की जनता हेतु खाद्य सुरक्षा के लिये एक ऐसा कानून लाएगी तथा उसे ठीक से लागु करेगी।

इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया तथा सुझावों का स्वागत है।

नेसार अहमद
समन्वयक

1 भूमिका

भारत, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को विचार व्यक्त करने, जीवन जीने, धार्मिक एवं अन्य स्वतंत्रताएं प्रदान की गयी। ऐसे प्रजातांत्रिक देश में प्रतिदिन देश की बड़ी आबादी खाद्य असुरक्षा की स्थिति में जीवन व्यतित करती है। खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य लोगों के पास हर समय अपने स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन के लिये सुरक्षित, उपयुक्त एवं पोषणयुक्त भोजन के लिये भौतिक एवं आर्थिक साधनों का अभाव होना है।[1] सामान्यतया खाद्य असुरक्षा का सीधा संबंध गरीबी से होता है और इसी कारण भुखमरी एवं कुपोषण जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। देश में लगभग 37.2 प्रतिशत जनसंख्या (तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट, 2009) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है एवं हर रोज करीब 42 करोड़ लोग भुखे ही सो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के प्रतिवेदन 2009 के अनुसार विश्व में भुखमरी की सर्वाधिक समस्या वाले 88 देशों पर बनाए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 65वें स्थान पर है। भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स के अनुसार देश के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों की स्थिति भयावह है।[2]

तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद देश में गरीबी एवं भुखमरी की समस्या दिनो–दिन बढ़ती जा रही है जिसके प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन का नही बढ़ना, गरीबी का बढ़ना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विफलता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का लगातार बढ़ना एवं खाद्यान्न मुद्रा स्फीती या खाद्यान्नों की कीमतों में तीव्र वृद्धि एवं देश के बहुत से भागों में अकाल एवं बाढ की समस्याएं आदि हैं। खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, वृद्धों, आदिवासियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ देश की सामान्य जनता की खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

देश में खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाला सबसे बड़ा तंत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर राशन की आपूर्ति की जाती है जिसमें खाद्यान्न एवं ईंधन प्रमुख हैं। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 4.62 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) का नेटवक्र है, जो संभवतया विश्व में इस तरह का सबसे बड़ा नेटवक्र है। इसके द्वारा देश में लगभग 16 करोड़ परिवारों को तकरीबन 30,000 करोड़ रु. के मूल्य की खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न वस्तुएं वितरीत की जाती है।

---

1 Kumbhar, Vijay : Food Insecurity in India: Natural or Artificial?, Department of Economics, Abasaheb Marathe College, Rajapur, Maharashtra

2 The India State Hunger Index: Comparisons Of Hunger Across States-2008, International Food Policy Research Institute (IFPRI)

लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बड़ी जनसंख्या का खाद्य सामग्री प्राप्त करने से वंचित रहने, सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों तक इसकी पहुंच की असमर्थता एवं शहरी क्षेत्रों में बढ़ती संकेन्द्रीयता तथा अन्य कारणों से काफी आलोचना होने लगी। फलस्वरुप सरकार द्वारा सन् 1997 में इसके स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया। लेकिन इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से उपर की आबादी के लिये खाद्य सामग्री की अधिक कीमतें होने, देश की सामान्य जनता का इससे वंचित होना एवं जमाखोरी, कालाबाजारी तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं के कारण शुरु से ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विरोध होता रहा है एवं सर्वमान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली अन्य योजनाओं जैसे आई.सी.डी.एस., मिड–डे–मील, राष्ट्रीय पेंशन योजना (विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन) एवं महानरेगा की क्रियांवितता सही ढंग से नही होने के कारण भी खाद्य सुरक्षा काफी हद तक प्रभावित हो रही है।

देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी उपरोक्त समस्याओं एवं अन्य कारणों से खाद्य असुरक्षा की समस्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स के अनुसार राज्य की स्थिति गंभीर (21.00 अंक) है एवं राज्य की लगभग 34.4 प्रतिशत जनसंख्या (तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट, 2009)[3] गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। राज्य में विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों एवं अकाल आदि समस्याओं के कारण कृषि उत्पादन कम होने से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होता है। इसके अलावा राज्य में बड़ी जनसंख्या विधवाओं (एकल नारी) एवं वृद्धजनों, आदिवासियों एवं दलितों की है, जो कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्तर के कारण उपयुक्त एवं पोषणयुक्त भोजन हेतु खाद्यान्न की व्यवस्था नही कर पाते हैं।

अतः उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आस्था संस्थान, उदयपुर द्वारा दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं राजसमंद जिलों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति एवं इसको सहायता देने वाली योजनाओं पर एक आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में 169 परिवरों को शामिल किया गया, जिसमें उदयपुर से 52 परिवार (30.77 प्रतिशत), डूंगरपुर से 26 परिवार (15.38 प्रतिशत), राजसमंद से 5 परिवार (2.96 प्रतिशत) एवं बांसवाड़ा से सर्वाधिक 86 परिवार (50.89 प्रतिशत) परिवार शामिल किये गये। सर्वे हेतु चुने गए परिवारों में बी.पी.एल. (50.30 प्रतिशत), अन्त्योदय अन्न योजना (19.53 प्रतिशत), ए.पी.एल. (28.99 प्रतिशत) एवं 2 अन्य परिवार (जिनको अपनी श्रेणी की जानकारी नही थी) शामिल थे। जबकि एक भी परिवार अन्नपूर्णा श्रेणी का नही था, अतः इनमें से लगभग आधे या इससे कुछ अधिक परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के थे। सर्वे में प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण बार्क द्वारा किया गया। यह अध्ययन मूल रुप से प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है साथ ही द्वितीयक स्रोतों का उपयोग भी किया गया है, जिनका यथा स्थान उल्लेख किया गया है।

[3] तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट, 2009

2. राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति

खाद्य सुरक्षा : संकल्पना – खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय "लोगों के पास हर समय अपने स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन के लिये सुरक्षित, उपयुक्त एवं पोषणयुक्त भोजन के लिये पर्याप्त रुप से भौतिक एवं आर्थिक साधनों का उपलब्ध होना है"। किसी भी व्यक्ति के लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो जाने पर इस बात की गारंटी नही होती है कि उसको पर्याप्त खाद्य सुरक्षा है। अतः पोषणयुक्त खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ उसको खरीदने के लिये पर्याप्त संसाधन मोजूद होने चाहिये।[4]

विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार "किसी भी देश में सभी लोगों के लिये सभी समय पर एक स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन के लिये पर्याप्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा है"[5]। जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार " खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी नागरिकों हेतु हर समय बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक साधनों की उपलब्धता से है"[6]।

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार किसी भी देश एवं राज्य हेतु पर्याप्त खाद्य सुरक्षा हेतु निम्न बातें आश्यक है।

राष्ट्र की समस्त जनसंख्या के लिये पर्याप्त भोजन हेतु खाद्यान्नों की भौतिक उपलब्धता आवश्यक है।

सभी लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो ताकि खाद्यान्न तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

उपलब्ध खाद्यान्न गुणवत्ता एवं मात्रा में पर्याप्त हो ताकि प्रत्येक नागरिक अपने स्वस्थ जीवन की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

भारत में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों, विशेषतौर से समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर खाद्य सामग्री वितरीत की जाती है। देश में खाद्य सुरक्षा विभिन्न प्राकृतिक एवं अन्य कारकों के कारण भी प्रभावित होती है जैसे मानसून की अनियमितता, सूखा एवं सिंचाई हेतु पानी की अनुपलब्धता आदि कारणों से खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षाकृत कम या नगण्य होता है। फलस्वरुप व्यापारी बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति को कम करके कीमतों को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में रोजगार अवसरों की कमी के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों का अपने लिये खाद्यान्न का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है। अतः उपरोक्त

---

4 www.khanya-aicdd.org/ Food Security concept paper- Draft, September 2006

5 विश्व विकास रिपोर्ट

6 Food and Agriculture Organization of United Nations

परिस्थितियों में समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों हेतु पोषणयूक्त खाद्यान्न की उचित कीमतों पर व्यवस्था करना ही खाद्य सुरक्षा है।

भारत में क्षैत्रीय विषमताओं के कारण विभिन्न राज्यों में खाद्य सुरक्षा की समस्याओं एवं कारणों में कुछ भिन्नताएं हैं। वहीं जब राजस्थान की स्थिति को देखते है तो यह राज्य देश के पश्चिम में स्थित है एवं क्षेत्रफल (3.42 लाख वर्ग किमी.) की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जनसंख्या (5.65 करोड़) की दृष्टि से देश का आंठवा बड़ा राज्य है एवं देश में सर्वाधिक भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं वाला राज्य है। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर है। राज्य के सुदूर पश्चिम में स्थित 6 जिले मरुस्थलीय है, जो राज्य का आधे से अधिक भाग को घेरते हैं। वहीं दक्षिणी राजस्थान का अधिकतम भाग पहाड़ी एवं पठारी है। जहां आदिवासियों का सघन आवास है एवं इस क्षेत्र में जोतो का आकार राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। जबकि राज्य का पूर्वी एवं उत्तर–पूर्वी क्षेत्र मैदानी है, जहां कृषि की स्थितियां तुलनात्मक रुप से अच्छी है।

राज्य में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता :

राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति : स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में शिशु मृत्यु दर, एसआरएस–2009 के अनुसार 63/ 1000 जीवित जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत 53/ 1000 जीवित जन्म से अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 3.88/1000 जीवित जन्म है, यह भी राष्ट्रीय औसत (2.54/1000 जीवित जन्म) से काफी अधिक है। राज्य के समान्यजन, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण, एनिमिया आदि समस्याएं भी गंभीर बनी हुई है[7]। एनएफएचएस–3 प्रतिवेदन के अनुसार 3 वर्ष तक के बच्चों में एनिमिया का प्रतिशत (79.1) भी राष्ट्रीय औसत (78.9) से अधिक है एवं अल्पवजनता का प्रतिशत 36.8 है। वहीं महिलाओं में एनिमिया का प्रतिशत (53.8) है जबकि गर्भवती महिलाओं में तो यह प्रतिशत और भी अधिक (लगभग 61.7) है, जो राष्ट्रीय औसत (57.9 प्रतिशत) से बहुत अधिक है एवं 33.6 प्रतिशत महिलाओं का शरीर सामान्य से कम बी.एम.आई. का है[8]।

खाद्य सुरक्षा की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले प्रमुख वर्ग :

राज्य में खाद्य सुरक्षा की समस्या से गरीब जनसंख्या, विधवाएं एवं वृद्धजन, आदिवासी, दलित, महिलाएं एवं बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते है। तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट, 2009 के अनुसार राज्य में लगभग 34.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में लगभग 15. 90 लाख विधवाएं एवं लगभग 38 लाख से अधिक वृद्ध लोग हैं तथा शारीरिक रुप से निःशक्त जनसंख्या 14

[7] SRS (Sample Registration System) Bulletin, October 2009
[8] NFHS-III (National Family Health Survey), Key Indicators for Rajasthan

लाख के करीब है एवं इन वर्गों की जनसंख्या अब काफी बढ़ गई होगी। ये सामान्यतया दुसरों पर निर्भर रहते हैं फलस्वरुप इन वर्गों की खाद्य सुरक्षा सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या क्रमशः लगभग 96.94 लाख (17.16 प्रतिशत) एवं 70.97 लाख (12.56 प्रतिशत) है, जिनकी खाद्य सुरक्षा सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सर्वाधिक कुप्रभावित होती है।

राज्य में खाद्य सुरक्षा के स्रोत :

कृषि : राजस्थान में कृषि मुख्यतः मानसून आधारित होती है। राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिये कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। राज्य में कृषि मुख्यतया वर्षा पर निर्भर रहती है लेकिन राज्य में प्रतिवर्ष किसी न किसी क्षेत्र में अकाल एवं सूखा पड़ता है। पिछले 50 वर्षों की स्थिति देखते है तो प्रतिवर्ष राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल एवं सुखे की स्थिति रही है। जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या और अधिक विकट हो जाती है।

राजस्थान देश में सर्वाधिक पानी की कमी से ग्रस्त राज्यों में से एक है जिसका सीधा असर यहां की कृषि सिंचाई पर पड़ता है क्योंकि राज्य में 60 प्रतिशत सिंचाई, अन्य स्रोतों की कमी के कारण, भूमिगत जल पर निर्भर रहती है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है। फलस्वरुप कृषि उत्पादन एवं आय कम होने से जनसंख्या के बड़े भाग की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा कुप्रभावित होती है। पिछले दो दशकों (1989–2004 की अवधि में) में कृषि उत्पादन की स्थिति देखते हैं तो जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है उससे बहुत ही कम वृद्धि दर खाद्यान्नों के उत्पादन में रही है। फलस्वरुप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी हुई है जिससे राज्य एवं देश के अन्य क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा की समस्या पैदा हो रही है।[9]

राज्य में कृषि उत्पादन : राज्य में पिछले 50 वर्षों से कृषि उत्पादन एवं जनसंख्या वृद्वि एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (जिसमें केवल अनाज और दलहन की पैदावार शामिल है) की स्थितियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। पिछले 50 वर्षों की अवधि (1960–61 से 2009–10 तक) में खाद्यान्न उत्पादन में काफी उतार–चढाव रहा है।

[9] राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लक्ष्मी नारायण नाथूरामका, संस्करण 2008

तालिका–1 : राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	कृषि उत्पादन (करोड़ किग्रा.)			प्रति व्यक्ति उत्पादन(किग्रा.)
		अनाज	दलहन	कुल खाद्यान्न	
1960–61	2.01	333.9	120.2	454.1	225.92
1970–71	2.57	706.4	177.7	884.1	344.00
1980–81	3.42	532.6	116.98	649.58	189.93
1990–91	4.40	921.5	171.88	1093.38	248.49
2000–01	5.65	930.08	73.14	1003.22	177.56
2001–02	5.77	1257.5	142.61	1400.11	242.65
2002–03	5.90	705.07	48.44	753.51	127.71
2003–04	6.04	1572.72	228.19	1800.91	298.16
2004–05	6.18	1081.9	133.8	1215.7	196.71
2005–06	6.32	992.36	89.9	1172.16	185.46
2006–07	6.47	1344.8	148.0	1492.8	230.72
2007–08	6.61	1453.2	155.2	1608.4	243.32
2008–09	6.76	1485.3	182.6	1667.9	246.73
2009–10 (संभावित)	6.91	973.0	97.2	1070.2	154.87

स्रोत : आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार, 2009, 2010

कृषि सांख्यिकी, राजस्थान सरकार, 1956–57 से 2005–06 स्टेटीस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट, राजस्थान 2009

नोट : प्रक्षेपित जनसंख्या

ग्राफ – 2 राज्य में जनसंख्या वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की तुलना

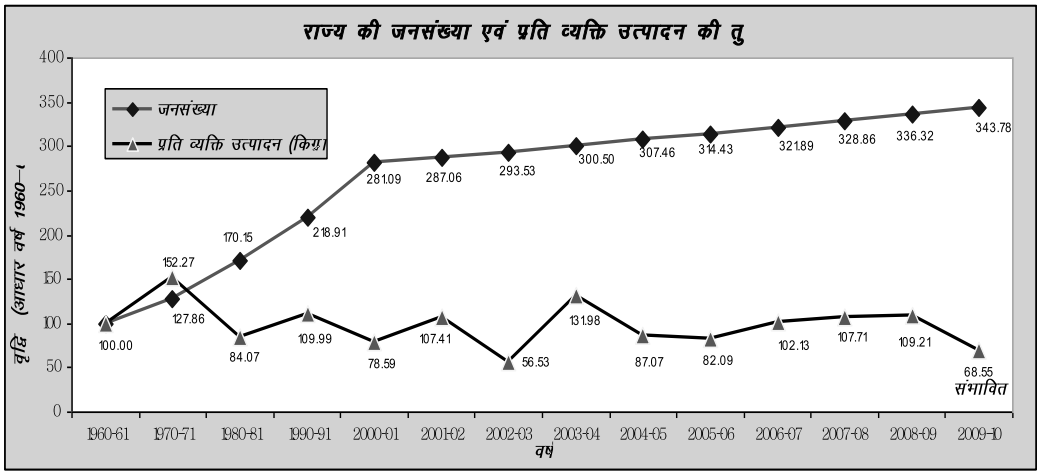

उपरोक्त ग्राफ में राज्य में कुल जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (जिसमें अनाज एवं दलहन शामिल है) में वृद्धि (वर्ष 1960–61 को आधार मानते हुए) को दर्शाया गया है। जिसके अनुसार वर्ष 1970–71 को छोड़कर, पिछले 50 वर्षों की समयावधि में राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम रही है। कृषि में बहुत ही कम वृद्धि का प्रमुख कारण राज्य में अकाल एवं सूखा रहा है।

अगर वर्ष 1660–61 में राज्य की जनसंख्या 100 थी तो वर्ष 2009–10 में बढ़कर यह लगभग 344 हो गई है जबकि 1660–61 में राज्य का प्रति व्यक्ति उत्पादन 100 किग्रा था, जो कि वर्ष 2009–10 में घटकर 68.55 किग्रा प्रति व्यक्ति रह गया है।

1970–71 में जनसंख्या 128 की तुलना में राज्य का कृषि का उत्पादन प्रति व्यक्ति 152 किग्रा रहा जिसका कारण वर्ष 1967–68 में हरित क्रांति की नीतियों को अपनाने के कारण कृषि उत्पादन बढ़ना रहा। लेकिन इसके बाद के वर्षों में कृषि उत्पादन की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम रही। हाल ही के वर्षों की जनसंख्या अनुमानित ली गई है जिसकी तुलना में वास्तविक आंकड़ें कहीं ज्यादा भी हो सकने का पूरा अनुमान है तब उस स्थिति में जनसंख्या का ग्राफ और अधिक उपर हो सकता है।

पिछले 66 वर्षों की स्थिति देखते है तो राज्य में 55 बार किसी न किसी क्षेत्र में सूखा एवं अकाल पड़ा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 में राज्य के 26 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया था। विशेष गिरदावरी रिपोर्ट[10] के अनुसार राज्य के 26 जिलों के 32833 गांव अकाल से प्रभावित हुए हैं एव राज्य की 50 प्रतिशत फसल कमजोर मानसून के कारण खराब हो गयी। जिससे वर्ष 2009–10 में कृषि उत्पादन, पिछले 7 वर्षों की तुलना में सबसे कम होने का अनुमान है। कहा जा सकता है कि राज्य में जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन के बीच अन्तराल लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण राज्य में खाद्यान्न की वांछित पूर्ति नहीं हो पा रही है।

राज्य में बारंबार अकाल पड़ने, वर्षा में हो रही लगातार कमी आदि के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा हैं। राज्य में अल्पवृष्टि अथवा अकाल के वर्षों में यह आंकड़ा कम रहा है। वर्ष 2010–11 में अच्छी वर्षा हो चूकी है और अभी और होने की संभावना बताई जा रही है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ेगा लेकिन ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राज्य में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुरुप फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि 40 वर्षों से जो अन्तराल लगातार बढ़ रहा है वह मात्र 1 वर्ष की कुछेक अधिक वर्षा से पूरा नहीं हो सकता है।

राज्य में वन संसाधन एवं खाद्य सुरक्षा : राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342.24 हजार वर्ग किमी. है जिसमें 32.55 हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल वन क्षेत्र है। अतः राज्य के 9.5 प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है, जो वनो के राष्ट्रीय औसत (23 प्रतिशत) से बहुत कम है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भू–भाग पर वन होने

---

[10] गिरदावरी रिपोर्ट, 2009, राजस्थान

चाहिए। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य के दक्षिणी जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तोड़गढ़ एवं बारां) में है। राज्य में जिलेवार भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत देखते हैं तो उदयपुर (36.62), डूंगरपुर (18. 42), बांसवाड़ा (24.55), सिरोही (31.13), चित्तोड़गढ़ (25.48) एवं बारां (32.08) है[11]। एवं इन जिलों में ही आदिवासियों का सघन आवास है।

राज्य की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या अपनी आजीविका एवं जीवन के लिये वनों पर निर्भर रहती है। एक सर्वे आधारित अध्ययन[12] में पाया गया कि लगभग 70 प्रतिशत आदिवासी परिवार अपनी आजीविका हेतु वनों एवं लघु वन उपज पर निर्भर हैं एवं इनकी व्यक्तिगत कुल आय में लघु वन उपज का प्रतिशत 10 से 18 प्रतिशत के बीच पाया गया। अतः वन एवं लघु वन उपज आदिवासियों की अतिरिक्त आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये वन भूमि पर कृषि के साथ लघु वन उपज संग्रह करते हैं, जिसका उपयोग खाद्य सामग्री एवं दवाई के रुप में तथा वन उपज के विक्रय से प्राप्त आय का उपयोग रोजमर्रा की सामग्री खरीदने आदि में करते है। अतः वनों का आदिवासियों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा को सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान है।

राज्य के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों, जो पीढ़ियों से वन क्षेत्रों में रह रहे है, को वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अनुसार को अधिकारिक पट्टे दिये जाने चाहिये। लेकिन अप्रेल, 2010 तक कुल दावों में से मात्र 50 प्रतिशत से भी कम आदिवासियों को अधिकारिक पट्टे दिये गए हैं।

राज्य में खाद्य सुरक्षा के सरकारी उपाय :

राजस्थान में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को (विशेषतौर पर समाज के कमजोर वर्ग) सस्ती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन आदि वस्तुएं वितरीत की जाती है। राज्य में 22991 उचित मूल्य की दुकाने हैं, जिनमें 17693 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 5298 शहरी क्षेत्रों में हैं।

राज्य में भी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत लोगो (विशेषतौर से बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना, ए.पी.एल. एवं अन्नपूर्णा के परिवारों) को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुएं वितरीत की जाती है। राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरीत की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य का विभिन्न श्रेणियों (बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना, ए.पी.एल. एवं अन्नपूर्णा) के लिये अलग– अलग है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।[13]

---

[11] वार्षिक प्रतिवेदन, वन विभाग, राजस्थान सरकार, 2009

[12] दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा लघु वन उपज के संग्रहण एवं विपणन का अध्ययन, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, 2009

[13] वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2009–10, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

तालिका–3 : विभिन्न श्रेणियों हेतु वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य

वस्तु/श्रेणी	बी.पी.एल.	अन्त्योदय अन्न योजना	अन्नपूर्णा	ए.पी.एल.
गेंहु	4.70 रु./ किग्रा.	2.00 रु./ किग्रा.	निःशुल्क	6.80 रु./ किग्रा.
चावल	6.30 रु./ किग्रा.	3.00 रु./ किग्रा.	–	9.00 रु./ किग्रा.
खाद्यान्न की मात्रा	35 किग्रा.	35 किग्रा.	10 किग्रा.	35 किग्रा.

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2009–10, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सामग्री का वितरण विभिन्न श्रेणी के परिवारों को उपरोक्त कीमत के अनुसार प्रति माह वितरीत करने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के बावजूद वर्तमान में एपीएल परिवारों को मात्र 10 किग्रा. गेहूं प्रति परिवार वितरीत किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष बीपीएल परिवारों को आवंटित गेहूं की मात्रा को 35 किग्रा. से कम करके 25 किग्रा. 2 रु. प्रति किग्रा. की दर से वितरीत कर रही है।

राज्य में अनाज का आवंटन एवं उठाव : सार्वजनिक वितरण के अन्तर्गत बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना, ए. पी.एल. एवं अन्नपूर्णा के परिवारों हेतु अनाज के आवंटन एवं उठाव की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है।

तालिका–4 : ए.पी.एल. के अन्तर्गत अनाज का आवंटन एवं उठाव

(मात्रा–लाख मैट्रिक टन में)

वर्ष	गेहूं			चावल		
	आवंटन	उठाव	प्रतिशत	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2004–05	26.96	3.02	11.23	0.67	0	0.00
2005–06	21.88	1.98	9.07	5.75	.0019	0.03
2006–07	5.26	1.53	29.14	8.10	.098	1.21
2007–08	2.90	2.36	81.30	0	0	0.00
2008–09	3.43	2.87	83.84	.0049	.0038	78.57
2009–10 (दिसम्बर)	5.79	5.66	97.86	–	–	–

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2009–10, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में ए.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2007–08 के बीच गेहूं के आवंटन में लगातार कमी की गई थी। वर्ष 2004–05 में इस श्रेणी हेतु करीब 26.96 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया जिसको वर्ष 2005–06 में कम करके 21.88 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया। इसी प्रकार इसमें भारी कमी करते हुए वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में गेंहु का आवंटन मात्र क्रमशः 5.26 लाख मैट्रिक टन एवं 2.90 लाख मैट्रिक टन ही किया गया। जबकि बाद के वर्षों, 2008–09 एवं 2009–10 में आवंटित गेहूं की मात्रा कुछ बढ़ाकर क्रमशः 3.43 लाख मैट्रिक टन एवं 5.79 लाख मैट्रिक टन किया गया। एवं गेहूं के उठाव की मात्रा में भी वर्ष 2004–05 से 2007–08 के बीच कमी एवं बाद के वर्षों में कुछ वृद्धि हुई है। हांलांकि गेहूं के उठाव का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वहीं चावल के आवंटन की मात्रा वर्ष 2004–05 से 2006–07 के बीच लगातार बढ़ी लेकिन बाद में इसका आवंटन नगण्य ही रहा।

तालिका–5 : बी.पी.एल. के अन्तर्गत अनाज का आवंटन एवं उठाव

(मात्रा–लाख मैट्रिक टन में)

वर्ष	गेहूं			चावल		
	आवंटन	उठाव	**प्रतिशत**	आवंटन	उठाव	**प्रतिशत**
2004–05	7.01	6.50	**92.75**	0.081	0	**0.00**
2005–06	5.17	4.48	**86.66**	0.75	0.19	**26.46**
2006–07	4.34	4.15	**95.69**	2.009	1.009	**50.24**
2007–08	4.08	3.85	**94.30**	2.02	1.46	**72.59**
2008–09	5.95	5.89	**98.96**	0.33	0.26	**79.93**
2009–10 (दिस)	4.75	4.69	**99.50**	–	–	–

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2009–10, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

राज्य में बी.पी.एल. श्रेणी हेतु गेहूं के आवंटन एवं उठाव की मात्रा में वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक लगातार कमी की गई थी । वर्ष 2004–05 में इस श्रेणी हेतु करीब 7.01 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया जिसमें से 6.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव हुआ। वर्ष 2005–06 में इसमें भारी कमी करते हुए मात्र 5.17 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया जिसमें वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में पुनः कमी करके मात्र क्रमशः 4.34 लाख मैट्रिक टन एवं 4.08 लाख मैट्रिक टन गेहूं ही आवंटित किया गया। इसके बाद वर्ष 2008–09 में आवंटित गेहूं की मात्रा पुनः बढ़ाकर 5. 95 लाख मैट्रिक टन किया गया लेकिन वर्ष 2009–10 हेतु आवंटित गेहूं में, पिछले वर्ष से 1.20 लाख मैट्रिक टन की कमी कर दी गयी। हांलांकि गेहूं के उठाव का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार चावल के आवंटन की मात्रा में पिछले तीन वर्षों से लगातार कमी हो रही है।

अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना की स्थिति : राज्य में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत गेहूं के आवंटन में किसी प्रकार की वृद्वि नही की गई है। वर्ष 2004–05 में अन्नपूर्णा योजना के परिवारों हेतु 12653 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया था इसके बाद आवंटन की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्वि नही की गई तथा वर्ष 2008–09 में भी 12653 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया।

वहीं उपरोक्त समयावधि में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत गेहूं के आवंटन में कुछ वृद्वि की गई है। वर्ष 2004–05 में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों हेतु 2.48 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया था। इसके बाद आवंटन की मात्रा को वर्ष दर वर्ष बढाया गया, तथा वर्ष 2008–09 में यह बढकर 3.9 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया।

अतः उपरोक्त चारों योजनाओं (ए.पी.एल., बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा) के अन्तर्गत आवंटित गेहूं की कुल मात्रा में वर्ष 2004–05 की तुलना में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2004–05 में उपरोक्त श्रेणियों के लिए कुल करीब 36.58 लाख मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया था, जिसको 2005–06 में कम करके करीब 30.55 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया। वर्ष 2007–08 में भारी कमी करते हुए मात्र 10.91 लाख मैट्रिक टन ही आवंटित किया गया एवं 2009–10 (दिसम्बर तक) में भी मात्र 13.53 लाख मैट्रिक टन आवंटित किया गया। वहीं दूसरी ओर

गेहूं के उठाव की स्थिति देखते हैं तो वर्ष 2004–05 से 2007–08 की समयावधि में कुछ कमी हुई थी। वर्ष 2004–05 में कुल 11.94 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव हुआ था, जो बाद के वर्षों 2006–07 एवं 2007–08 में कम होकर मात्र क्रमशः 9.22 लाख मैट्रिक टन एवं 9.91 लाख मैट्रिक टन रहा। उसके बाद इसमें कुछ बढोतरी हुई है एवं वर्ष 2009–10 (दिसम्बर तक) 13.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव हो चुका है।

भ्रष्टाचार, कालाबाजारी एवं जमाखोरी : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी एवं जमाखोरी की समस्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के अनुसार वर्ष 2005–06 में 341 जगहों पर छापे मारे गये, अदालत में 172 चालान प्रस्तुत किये गये एवं कार्यवाही में करीब 98.51 लाख रु. की राशन सामग्री जब्त की गयी। वर्ष 2006–07 में 993 जगहों पर छापे मारे गये एवं करीब 95.77 लाख रु. की राशन सामग्री जब्त की गयी। इसके बाद वर्ष 2007–08 में 571 छापे मारे गये जिसमें करीब 84 लाख रु. की राशन सामग्री जब्त की गयी, जो पूर्व वर्षों से कुछ कम है लेकिन वर्ष 2008–09 में मारे गये छापों की संख्या बढ़कर 798 हो गयी एवं करीब 101.77 लाख रु. की सामग्री जब्त की गयी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, कालाबारी एवं जमाखोरी की समस्या लगातार बढ़ रही है एवं लगातार की जा रही कार्यवाहियों के बावजूद भी इसमें सुधार नही हो रहा है एवं वर्ष 2009–10 में भी दिसम्बर तक 490 छापे मारे गये एवं करीब 217.48 लाख रु. की सामग्री जब्त की गयी।

भोजन का अधिकार कानून : पी.यू.सी.एल. (नागरिक आजादी के लिए जनसंगठन), राजस्थान ने अप्रेल 2001 में भोजन के अधिकार को वैधानिक रुप से लागू करवाने हेतु याचिका दायर की। यह याचिका मुख्य रुप से अकाल राहत मुद्दे पर भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं 6 राज्यों की सरकारों के विरुद्ध दायर की गई थी। इस याचिका का कानूनी आधार यह है कि संविधान की धारा 21 प्रत्येक नागरिक को जीने का मौलिक अधिकार देती है एवं जीने के लिये पर्याप्त रुप से पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था अति आवश्यक है। इस प्रकार मूल तर्क यह है कि "भोजन का अधिकार", भारतीय संविधान की धारा–21 में उल्लेखित "जीने का अधिकार" का एक पहलू है। अतः प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। अतः भोजन का अधिकार कानून पारित करवाने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है।

हालांकि भोजन के अधिकार कानून पर फैसला अभी विचाराधीन होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली 9 योजनओं के संबंध में आदेश पारित किए हैं। ये आदेश इन योजनाओं कुशल कियांवयन में महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल, 2010 : खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून का मसौदा तैयार करने के लिये मंत्रियों का एक सशक्त समूह बनाया गया एवं इस समूह ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून का मसौदा तैयार कर कैबिनेट में चर्चा के लिये भेज दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून के इस प्रस्तावित बिल में केवल बी.पी.एल. परिवारों को 3 रु. प्रति किग्रा. की दर 25 किग्रा. अनाज वितरीत करने की बात कही गई है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। इसके अलावा इस बिल में पोषण सुरक्षा का कहीं भी उल्लेख नही किया गया है।

3. राज्य में खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली प्रमुख योजनाएं एवं बजट

खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आईसीडीएस, मिड डे मिल, राष्ट्रीय पेंशन योजना (विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन) एवं महानरेगा आदि प्रमुख हैं। इस खंड में, इन योजनाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में 22991 उचित मूल्य की दुकानो के द्वारा लोगों, विशेषतौर से कमजोर वर्ग के लोगो को सस्ती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री वितरीत की जाती है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय) की संख्या करीब 25.84 लाख है जबकि ए.पी.एल. परिवारों की संख्या लगभग 122.16 लाख है।[14]

राज्य सरकार ने इस वर्ष (2010–11) के बजट भाषण में 1 मई 2010 से राज्य में बी.पी.एल. श्रेणी (जिसमें राज्य बी. पी.एल. श्रेणी को शामिल करते हुए) के लोगों को 25 किग्रा. गेहुं 2 रु. प्रति किग्रा. प्रति परिवार वितरीत करने एवं बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 16.52 लाख से बढ़ाकर 27.14 करने की घोषणा की थी। इस प्रकार मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना को सम्पूर्ण राज्य में 10 मई 2010 से शुरु की गयी।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कटौती से राज्य में प्रति परिवार 10 किग्रा. गेहूं के कम वितरण से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.52 लाख परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राज्य में प्रावधान से 10 किग्रा. कम गेहूं वितरीत होने से बी.पी.एल. जनसंख्या अतिरिक्त गेहूं बाजार से उंची दरों पर खरीदने को मजबुर होगी।[15] इसी मुद्दे पर रोजी रोटी अधिकार अभियान, राजस्थान का कहना है कि सरकार द्वारा अनाज की मात्रा को 35 किग्रा. से घटाकर 25 किग्रा. कम कीमत (2 रु. प्रति किग्रा.) पर वितरीत करने के बावजूद राज्य के वर्तमान बी.पी.एल. परिवारों पर करीब 50 करोड़ रु. वार्षिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक परिवार यदि 10 किलो अतिरिक्त गेहूं बाजार से 14 रु. प्रति किग्रा. की दर से खरीदता है तो उसे गत वर्षों से 93 रु. प्रतिमाह अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस प्रकार बी.पी.एल. जनसंख्या पर लगभग 50.55 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ेगा।[16]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में उच्चतम न्यायालय का आदेश : इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (28 नवम्बर 2001 एवं 10 जनवरी 2008 का आदेश) प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 35 किग्रा. अनाज प्रति माह वितरीत किया जाना चाहिये। कोई भी सरकार इस योजना में न्यायालय की अनुमति के बिना परिवर्तन नही करेगी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस वर्ष अनाज की मात्रा को 35 किग्रा. से घटाकर 25 किग्रा. की है, जो उच्चतम न्यायालय के इस संदर्भ में दिये गये आदेश का उल्लंघन है। इसके अलावा ए.पी.एल.

---

[14] खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2008–09

[15] मुख्य मंत्री बजट भाषण, वर्ष 2010 –11, पेज नं. 42–43

[16] रोजी रोटी अधिकार अभियान, राजस्थान

श्रेणी के परिवार को 35 किग्रा. अनाज प्रति माह 6.80 रु. प्रति किग्रा. की दर से वितरीत करने का प्रावधान है। जबकि वर्तमान में राज्य में ए.पी.एल. परिवारों को मात्र 10 किग्रा. गेहूं वितरीत किया जा रहा है।

खाद्यान्न सब्सिडी : खाद्य सब्सिडी हेतु भारत सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करती है ताकि देश में गरीबों एवं अन्य कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न सामग्री मुहैया की जा सके। भारतीय खाद्य निगम, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद के साथ खाद्यान्नों का परिवहन, वितरण एवं बिक्री करता है। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सस्ती दरों के बीच के अन्तर को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं विकेन्द्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों हेतु खाद्य सब्सिडी जारी करती है। फलस्वरुप भारतीय खाद्य निगम खुले बाजारों एवं सहायतित कीमतों पर उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न सामग्री वितरीत करती है एवं इसके बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से लक्षित वर्गों को खाद्यान्न सामग्री वितरीत की जाती है। लेकिन खाद्य सब्सिडी के बजट के वर्ष प्रति वर्ष बढ़ने के कारण सरकार खाद्य सब्सिडी के बोझ को समाप्त करना चाहती है। इस खाद्य सब्सिडी के बोझ के कारण सरकार खुले बाजारों एवं अन्य देशों को तुलनात्मक रुप से सस्ती दरों पर खाद्यान्नों को निर्यात करने पर राजी है लेकिन सरकार को सहायतित कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के लोगों को खाद्यान्न वितरीत करने पर आपत्ति है।

तालिका–6 : कुल केन्द्रीय व्यय में खाद्यान्न सब्सिडी का प्रतिशत

(राशि–करोड़ में)

मद / वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 संशोधित	2010–10 प्रस्तावित
खाद्यान्न सब्सिडी	25798	23077	24014	31328	43751	56002	55578
कुल सरकारी व्यय	498252	505738	583387	712679	883956	1021547	1108749
खाद्यान्न सब्सिडी का कुल व्यय में प्रतिशत	5.18	4.56	4.12	4.40	4.95	5.48	5.01

स्रोत : वास्तविक व्यय, संघीय बजट, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका में केन्द्र सरकार के खाद्यान्न सब्सिडी के बजट एवं कुल सरकारी व्यय को दर्शाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार के कुल व्यय में खाद्यान्न सब्सिडी के बजट का प्रतिशत वर्ष 2004–05 से 2006–07 की अवधि में लगातार कम किया गया। वर्ष 2004–05 में सरकार के कुल व्यय में खाद्यान्न सब्सिडी का बजट 5.18 प्रतिशत था, जो वर्ष 2006–07 में कम होकर 4.12 प्रतिशत रह गया। उसके बाद वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि में खाद्यान्न सब्सिडी के बजट को बढ़ाया गया। लेकिन सरकार ने इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में इसको वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट (56002 करोड़ रु.) की तुलना में कम करके मात्र 55578 करोड़ रु. ही प्रस्तावित किया है।

समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम : देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम 1975 से संचालित किया जा रहा है। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे– पोषक आहार, स्वास्थ्य की देखरेख एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आदि को पूरा करने की एक महत्वपूर्ण योजना है।

इसके अलावा इस योजना में किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को शामिल किया गया क्योंकि अकेली माँ अपने बच्चे के पोषण एवं स्वास्थ्य की सभी जरुरतें अपने बलबुते पर नही कर पाती है। अतः राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के फलस्वरुप 1975 में सरकार ने समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को चालू किया।

तालिका–7 : समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत लाभांवितों हेतु मानदंड

क्रम	लाभांवित	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम)
1.	0 से 6 वर्ष के बच्चे	300	8–10
2.	किशोरियों हेतु	500	20–25
3.	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु	500	20–25

समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार देश में सर्वव्यापी आईसीडीएस कार्यक्रम होना चाहिये एवं सभी सरकारों को निर्देशित किया कि–

प्रत्येक 6 वर्ष तक के बच्चे को 300 कैलोरी एवं 8–10 ग्राम प्रोटीन एवं प्रत्येक कुपोषित को 600 कैलोरी एवं 16–20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होना चाहिये।

प्रत्येक किशोरी को 500 कैलोरी एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होना चाहिये।

प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री महिला को 500 कैलोरी एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय के आदेश (13 दिसम्बर 2006) के अनुसार प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री महिला तथा किशोरी को पूरक पोषण के लिये 2.30 रुपये प्रतिदिन का प्रावधान हो। जिसमें 1.15 रुपये प्रतिदिन केन्द्र सरकार का योगदान हो।

गंभीर रुप से कुपोषित बच्चे के पूरक पोषण हेतु प्रति बच्चे पर प्रतिदिन 2.70 रुपये का व्यय किया जाये, जिसमें केन्द्र सरकार का योगदान 1.35 रुपये हो।

राज्य में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का बजट एवं योजना की स्थिति :

देश में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार ने इस वर्ष (2010–11) हेतु 8700 करोड़ रु. का बजट प्रस्तावित किया है। जबकि पिछले वर्ष (2009–10) में यह 6705 करोड़ रु. था। इसी प्रकार राज्य में भी इस कार्यक्रम का बजट देखते हैं तो इसमें वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। लेकिन पूंजीगत बजट में अनियमित रुप से कमी एवं वृद्धि रही है।

तालिका–8 : राज्य में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का बजट

(राशि–करोड़ में)

मद	वर्ष								
	2006–07		2007–08		2008–09		2009–10		2010–11
	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	संशोधित	प्रस्तावित
राजस्व बजट	367.53	300.24	392.69	363.18	450.17	474.43	662.85	629.14	924.38
पूंजीगत बजट	21.16	33.89	17.55	14.95	26.00	0.65	.0007	16.04	.0007
कुल योग	**388.69**	**334.13 (85.96)**	**410.24**	**378.13 (92.17)**	**476.17**	**475.08 (99.77)**	**662.85**	**645.18 (97.33)**	**924.38 (–)**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

नोट : ( ) में प्रस्तावित बजट से वास्तविक व्यय का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका में राज्य का समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का पिछले पांच वर्षों का बजट दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम का बजट लगातार बढ़ रहा है एवं प्रस्तावित बजट से वास्तविक व्यय का प्रतिशत भी बढ़ रहा है।

राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ते बजट एवं वास्तविक व्यय के बावजूद इसके कोई विशेष प्रतिफल नही मिल रहे हैं। राज्य में वर्तमान में 54915 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 6204 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके माध्यम से बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पोषक आहार एवं स्वास्थ्य की देखरेख संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही है। फिर भी इस कार्यक्रम का प्रभावी कवरेज काफी सीमित है। राज्य में अभी भी लगभग 44 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं एवं विटामीन 'ए' का कवरेज मात्र 50.8 प्रतिशत के करीब है। बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत भी 48.8 प्रतिशत है एवं शिशु मृत्यु दर 63 (1000 जीवित जन्म पर) के करीब है। राज्य में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं की स्थिति भी खस्ताहाल है। वार्षिक प्रतिवेदन 2009–10 (महिला एवं बाल विकास) के अनुसार राज्य में लगभग 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे है जिससे केन्द्रों के संचालन में असुविधा के साथ – साथ सेवाओं की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) : भारत में खाद्य असुरक्षा की समस्या से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण पर पड़ने वाले विपरति प्रभाव को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मिड–डे–मील कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) 1995 में चालू किया। यह कार्यक्रम 14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के उद्धेश्य से चालू किया गया एवं बाद में इस कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा के लिये पोषण सहायता–नया नाम दिया

गया। मिड–डे–मील कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे[17] को प्रतिमाह 3 किग्रा. खाद्यान्न वितरीत करने का प्रावधान किया गया था।

बाद में उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 2001 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि सभी बच्चो को पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध करवाया जाये। फलस्वरुप राजस्थान सरकार ने भी जुलाई, 2002 में उपरोक्त आदेश के तहत मिड–डे–मील कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ गरम भोजन की व्यवस्था को लागू किया। प्रारंभ में यह योजना केवल कक्षा 1 से 5 तक अर्थात प्राथमिक विद्यालय में पढने वाले बच्चों तक सीमित थी। लेकिन अक्टुबर 2007 में इस योजना का विस्तार, शैक्षणिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों (3479 ब्लॉक) के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों तक किया गया, इसके बाद इसका पुनः विस्तार करके कक्षा 6 से 8 में पढने वाले सभी बच्चों तक किया गया। वर्तमान में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 81,436 विद्यालयों (जिसमें सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय एवं शिक्षा गारंटी केन्द्र शामिल है) में कक्षा 1 से 5 तक के 58.55 लाख एवं 6 से 8 में पढने वाले 22.16 लाख बच्चे शामिल हैं।[18]

तालिका–9 : राज्य में मिड–डे–मील कार्यक्रम का बजट

(राशि–करोड़ में)

मद	2005–06 वास्तविक	2006–07 वास्तविक	2007–08 वास्तविक	2008–09 वास्तविक	2009–10 संशोधित	2010–11 प्रस्तावित
आयोजना भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आयोजना	80.00	90.00	0.00	0.00	70.00	95.00
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	114.79	190.71	328.59	403.70	349.17	498.99
कुल योग	**194.79**	**280.70**	**328.59**	**403.70**	**419.17**	**593.99**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में मिड–डे–मील कार्यक्रम का बजट लगातार बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के लिये राज्य आयोजना व्यय, वर्ष 2005–06 में 80 करोड़ रु. था, जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 90 करोड़ रु. हो गया। इसके बाद वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में राज्य सरकार ने अपने व्यय में से एक भी रुपया व्यय नही किया। जबकि वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट में राज्य आयोजना के अन्तर्गत 70 करोड़ रु. रखे वहीं इस वर्ष (2010–11) के बजट में 95 करोड़ रु. व्यय करने प्रस्तावित किये हैं।

तमाम प्रयासों के बावजूद यह योजना बच्चों को सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित करने में असफल रही है एवं राज्य में विगत पांच वर्षों में 10 लाख बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। वर्ष 2005–06 में 101 लाख बच्चे नामांकित हुए थे, जो 2006–07 में 30

[17] प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालाय/बालवाड़ी में पढने वाले बच्चे

[18] आर्थिक समीक्षा, 2009–10, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

प्रतिशत घटकर 69.60 लाख रह गए। वर्ष 2007–08 में यह संख्या और घटकर 63.56 लाख एवं 2008–09 में 62.13 लाख हो गयी। वहीं वर्ष 2009–10 में मात्र 58.55 लाख बच्चे ही नामांकित हुये। अतः एक ओर जहां सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की संख्या घट रही है वहीं दुसरी ओर निजी विद्यालयों में इस संख्या में वृद्धि हो रही है।[19]

विधवा पेंशन योजना :– विधवाओं एवं वृद्धों के अभावग्रस्त जीवन एवं अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में 1974 में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गयी। विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को वर्ष 1999 तक 125 रू. प्रतिमाह दिये जाते थे। इसके बाद वर्ष 2005–06 में प्रत्येक विधवा को 10 किग्रा. गेहूं प्रति माह मुफ्त वितरीत करने की घोषणा की थी लेकिन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के बीच समन्वय नही हो पाने के कारण यह बंद कर दी गई। फलस्वरुप वर्ष 2005–06 में ही विधवा पेंशन राशि को बढ़ाकर 200 रू. प्रतिमाह एवं 2006–07 में 250 रू. प्रतिमाह कर दी गयी। इसके बाद विधवा पेंशन राशि को बढ़ाकर 400 रु. प्रतिमाह कर दिया। जैसा कि सर्वविदित् है कि विधवा पेंशन योजना का लाभ, वही विधवा ले सकती है, जिसके पास एक तो 11 बीघा (असिंचित भूमि)या 5.5 बीघा (सिंचित भूमि)से अधिक भूमि न हो एवं दुसरा विधवा के कोई भी पुत्र 18 वर्ष की आयु से अधिक न हो। अतः ऐसे प्रतिबंधों के कारण बहुत कम विधवाएं, पेंशन योजना का लाभ ले पाती हैं।[20]

तालिका–10 : राज्य में विधवा पेंशन योजना का बजट

(राशि – करोड़ में)

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
प्रस्तावित बजट	40.00	50.00	60.00	100.00	145.00	145.00
वास्तविक व्यय	49.59	57.79	110.05	128.11	145.00	–

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार संशोधित बजट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में पिछले पांच वर्षों में विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट से वास्तविक व्यय अधिक रहा है। जिसका प्रमुख कारण राज्य में विधवाओं की तादाद (16 लाख) काफी अधिक है जबकि बहुत ही कम विधवाओं को पेंशन दी जाती हैं। वास्तविक व्यय के अधिक रहने के बावजूद सरकार अपने बजट घोषणा में मांग के अनुरुप पर्याप्त बजट नही रखती है। इस वर्ष सरकार ने विधवा पेंशन की राशि 400 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रु. प्रतिमाह एवं लक्ष्य (लाभांवितों की संख्या) भी 3.26 लाख से बढ़ाकर करीब 3.66 कर दी है। अतः पेंशन की राशि एवं प्रस्तावित लाभांवितों की संख्या में वृद्धि के बावजूद विधवा पेंशन हेतु बजट में किसी प्रकार की वृद्धि नही की गई है एवं इसे गत वर्ष के संशोधित बजट के बराबर (145 करोड़) ही रखा है।

---

[19] Singh, Perneet, Mid-day meal scheme a failure in Rajasthan, Tribune News Service, Saturday, April 3, 2010, Chandigarh, India

[20] राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन, बार्क वर्किंग पेपर नं.–4, 2007

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : यह पेंशन योजना, बी.पी.एल परिवार की उन विधवाओं, जिनकी उम्र 40 से 64 वर्ष के बीच है, के लिये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधवा को 400 रु. प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है जिसमें राज्य एवं केन्द्र सरकार की बराबर हिस्सेदारी है।[21]

तालिका–11 : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का बजट

(राशि – करोड़ रु. में)

वर्ष	2009–10 (प्रस्तावित)	2009–10 (संशोधित)	2010–11 (प्रस्तावित)
प्रस्तावित बजट	0.0001	15	20

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

राज्य में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिये वर्ष 2009–10 के प्रस्तावित बजट में मात्र 0.01 करोड़ (1000 रु.) का बजट प्रस्तावित किया था, जिसको इसी वर्ष के संशोधित बजट में बढ़ाकर 15 करोड़ रु. कर दिया था। इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में इस राशि को और बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत, कितनी विधवाओं को लाभांवित किया जायेगा ? इसका उल्लेख नही किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना : जैसा कि उपर उल्लेखित किया जा चुका है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना भी विधवा पेंशन योजना के साथ 1974 में चालू की गई थी। सरकार ने अपने प्रस्तावित बजट एवं वास्तविक व्यय में वृद्धावस्था पेंशन की राशि वर्ष 2005–06 से 2007–08 के बीच बढ़ाई। लेकिन उसके बाद वर्ष 2008–09 के प्रस्तावित बजट में पुनः कम किया एवं इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में वृद्धावस्था पेंशन हेतु पिछले वर्ष (128 करोड़) से कम करके मात्र 100 करोड़ की राशि रखी है।

तालिका–12 : राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु बजट (राशि – करोड़ में)

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
प्रस्तावित बजट	75.00	74.00	100.00	80.00	137.00	100.00
वास्तविक व्यय	69.85	73.44	94.09	109.55	128.00	–

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार संशोधित बजट

वृद्धावस्था पेंशन को भी पिछले वर्ष (2009–10) के संशोधित बजट, 128 करोड़ से कम करके इस वर्ष (2010–11) के प्रस्तावित बजट में 100 करोड़ कर दिया हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 38 लाख से अधिक वृद्ध जनसंख्या है जबकि 4.5 से 6 लाख वृद्ध लोगों को ही सरकार पेंशन मुहैया करवाती है। सरकार की इस प्रकार की नीतियों से समाज के असहाय वर्गों के लिए अपना जीवन चलाना मुश्किल रहता है।

---

[21] इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय विधवा पेंशन योजना सम्बंधी आदेश, दि. 07–10–09, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान

4. सर्वे क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के स्रोत एवं इसको सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं की स्थिति

खाद्य सुरक्षा पर सर्वे में दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं बांसवाड़ा जिलों को चुना गया। उपरोक्त जिलों में आदिवासी जनसंख्या का सघन आवास है एवं क्षेत्र के अधिकतर भाग पहाड़ी एवं पठारी है। क्षेत्र के लोगो का जीवन एवं खाद्य सुरक्षा मुख्यतया कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर रहता है। इसके साथ ही लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान में कृषि के अलावा वनों एवं लघु वन उपज, मजदूरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

सर्वे हेतु चुने हुए 169 परिवारों में से 85 परिवार बीपीएल, 49 परिवार एपीएल, 33 परिवार अन्त्योदय एवं 2 परिवार अन्य श्रेणी के थे जबकि अन्नपूर्णा श्रेणी का एक भी परिवार नही था।

सर्वे क्षेत्र में चुने गये परिवारों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति :

सर्वे क्षेत्र में एक परिवार में औसतन 7 से अधिक सदस्य है। इसमें भी 50 प्रतिशत परिवारों में 6 से 9 सदस्य है एवं लगभग 5 प्रतिशत परिवार ऐसे भी है जिनमें 10 से 14 सदस्य है। अतः क्षेत्र में परिवार का आकार काफी बड़ा होता है एवं जिससे अधिक सदस्यों के भोजन हेतु अनाज की भी आवश्यकता अधिक होती है। क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के प्रमुख स्रोत कृषि एवं मजदूरी है एवं सर्वे में पाया गया कि कृषि से लोगों को औसतन लगभग 5 महिने भोजन प्राप्त होता है जबकि मजदूरी से औसतन लगभग 7 माह तक भोजन प्राप्त होता है।

तालिका–13 : प्रतिदिन एक/दो/तीन–बार भोजन करने वाले परिवार

दिन में कितनी बार भोजन करते है ?	परिवारों की संख्या				योग	प्रतिात
	बी.पी.एल.	ए.पी.एल.	अन्त्योदया	पता नही		
एक बार	12	1	4	1	18	10.65
दो बार	63	43	27	1	134	79.29
तीन बार	10	5	2	0	17	10.06
कुल	**85**	**49**	**33**	**2**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वे क्षेत्र में लगभग 79.29 प्रतिशत लोग दो बार भोजन करते हैं। जबकि 10. 65 प्रतिशत परिवार केवल एक बार ही भोजन करते हैं। अतः क्षेत्र में 169 परिवारों में से करीब 10 से 11 प्रतिशत परिवार खाद्यान्न असुरक्षा से बहुत अधिक समस्याग्रस्त पाए गए।

तालिका–14 : परिवारों की रोजी रोटी के साधन

रोजी–रोटी (आय) के साधन	परिवारों की संख्या	प्रतिात
कृषि	4	2.37
जंगल	1	0.59
मजदूरी	5	2.96
पशुपालन	1	0.59
इनमें से दो या अधिक	153	90.53
पता नहीं	5	2.96
कुल	169	100

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वे क्षेत्र में रोजी रोटी के प्रमुख साधनों (कृषि, मजदूरी, जंगल एवं पशुपालन) में से दो साधनों संभवतया कृषि एवं मजदूरी पर लगभग 90 प्रतिशत से कुछ अधिक परिवार निर्भर है। अतः क्षेत्र में किसी एक साधन पर निर्भर रहकर अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल होता है।

तालिका–15 : वर्ष भर में खाद्य सुरक्षा के स्रोत एवं माह

महीनों की संख्या	कृषि		जंगल		मजदूरी		पशुपालन		राशन	
	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	9	5.33	23	13.61	0	0.00	7	4.14	20	11.83
2	27	15.98	2	1.18	2	1.18	1	0.59	52	30.77
3	36	21.30			14	8.28	2	1.18	36	21.30
4	28	16.57			39	23.08	1	0.59	16	9.47
5	19	11.24			11	6.51			2	1.18
6	28	16.57			37	21.89	1	0.59	3	1.78
7	2	1.18			5	2.96				
8	2	1.18			29	17.16				
9					10	5.92			1	0.59
10					7	4.14				
11					7	4.14				
12					1	0.59				
0	10	5.92	144	85.21	1	0.59	156	92.31	30	17.75
पता नहीं	8	4.73			6	3.55	1	0.59	8	4.73
कुल	**169**	**100**	**169**	**100**	**169**	**100**	**169**	**100**	**168**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे क्षेत्र के अधिकांश परिवार वर्ष के अधिकतम महीने कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर रहते है। लगभग 42 .60 प्रतिशत से कुछ अधिक परिवारों को एक से तीन महीने एवं लगभग 44 प्रतिशत परिवारों को 4–6 महीने तक कृषि से खाद्य सुरक्षा मिलती है। अतः क्षेत्र में अधिकतम परिवारों ने बताया कि उन्हें कृषि उत्पादन से मात्र 4 से 6 महिनों तक खाद्य सुरक्षा मुहैया हो सकती है जबकि एक भी परिवार ऐसा नही था, जिसको कृषि से 8 महिनों से अधिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती हो।

लगभग 85 प्रतिशत परिवारों को वर्ष में 3–9 महीने तक मजदूरी से खाद्य सुरक्षा मिलती है। उसमें भी लगभग सर्वाधिक लगभग 23 प्रतिशत परिवारों को 4 महिने, 21.89 प्रतिशत परिवारों को 6 महिने एवं करीब 17 प्रतिशत परिवारों को 8 महिने मजदूरी से खाद्य सुरक्षा मिलती है। बहुत कम करीब 8 प्रतिशत परिवारों को 10–11 महिने

मजदूरी से खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है जबकि ऐसे परिवारों का प्रतिशत नगण्य है, जिनको वर्ष भर मजदूरी से खाद्य सुरक्षा मिलती हो। सर्वे में पाया गया कि 14 प्रतिशत से कुछ अधिक परिवारों को 1 से 2 महिनों के लिए जंगल से एवं करीब 5 प्रतिशत परिवारों को 1 से 4 महिने पशुपालन से खाद्य सुरक्षा मिलती है। सर्वे में लोगों ने बताया कि हालांकि जंगल एवं पशुपालन से बहुत कम परिवारों को अपेक्षाकृत कम समय के लिये भोजन प्राप्त होता है परन्तु ये दोनों स्रोत हमेशा ही इन परिवारों की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए है।

सर्वे क्षेत्र में लगभग 73 प्रतिशत परिवार ऐसे पाए गए जिनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन से मात्र 4 माह तक के लिये एवं इसमें भी अधिकांशतः करीब 30 प्रतिशत परिवारों को मात्र 2 माह तक खाद्य सुरक्षा मिलती है। क्षेत्र में एक परिवार के अलावा कोई परिवार ऐसा नही मिला, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले कुल खाद्यान्न से छः माह से अधिक समय के लिये खाद्य सुरक्षा मिली हो। अतः सर्वे में यह पाया गया कि कोई भी परिवार अपनी खाद्य सुरक्षा के लिये किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है।

खाद्य सुरक्षा को सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं की स्थिति :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

तालिका–16 : जिलेवार विभिन्न श्रेणी के परिवारों की संख्या

श्रेणी	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा	कुल	प्रतित
बीपीएल	20	7	4	54	**85**	**50.30**
एपीएल	28	11	1	9	**49**	**28.99**
अन्त्योदय	4	8	0	21	**33**	**19.53**
अन्नपूर्णा	–	–	–	–	**0**	**0.00**
पता नहीं	–	–	–	2	**2**	**1.18**
कुल	**52**	**26**	**5**	**86**		
प्रतित	**30.77**	**15.38**	**2.96**	**50.89**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार क्षेत्र में सर्वे हेतु चुने गए 169 परिवारों में बी.पी.एल.(50.30 प्रतिशत), अन्त्योदय अन्न योजना (19.53 प्रतिशत) एवं ए.पी.एल.(28.99 प्रतिशत) के थे, जबकि एक भी परिवार अन्नपूर्णा श्रेणी का नही था। अतः इनमें से लगभग आधे या इससे कुछ अधिक परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के हैं। सर्वे में उदयपुर से 30.77 प्रतिशत, डूंगरपुर से 15.38 प्रतिशत, राजसमंद से 2.96 प्रतिशत एवं बांसवाड़ा से सर्वाधिक 50.89 प्रतिशत परिवार शामिल किये गये। सर्वे में सर्वाधिक बी.पी.एल. श्रेणी के परिवार बांसवाड़ा जिले से जबकि ए.पी.एल. परिवार उदयपुर से थे।

दुकान संबंधी सूचकः

तालिका–17 : गांव में उचित मुल्य की दुकान की उपलब्धता

दुकान कहां स्थित है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
गांव में	22	12	–	53	**87**	**51.48**
बाहर	30	14	5	31	**80**	**47.34**
पता नहीं	–	–	–	2	**2**	**1.18**
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकान के संबंध में लगभग 51.48 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि दुकान उनके गांव में स्थित है जबकि लगभग 47.34 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि दुकान अन्य गांव में स्थित है। अतः लगभग आधे परिवारों के अनुसार दुकान गांव में नहीं होने के कारण वे इसका फायदा नही ले पाते हैं एवं राशन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

तालिका–18 : उचित मुल्य की दुकान का संचालन

दुकान कौन चला रहा है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
डीलर	167	98.82
पता नहीं	2	1.18
कुल योग	169	100

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में यह पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाली लगभग सभी दुकानें डीलरों द्वारा ही संचालित की जा रही है न कि किसी अन्य संस्था, समूह या समिति द्वारा। जबकि क्षेत्र के करीब 1–2 प्रतिशत परिवारों में इससे संबंधित जानकारी का अभाव पाया गया।

तालिका–19 : उचित मुल्य की दुकान के माह में खुले रहने के दिन

दुकान माह में कितने दिन खुलती है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
2 दिन	36	1		8	45	26.63
3 से 5 दिन	10	16	3	55	84	49.70
6 से 7 दिन	2	4	2	16	24	14.20
7 दिन से अधिक	4	5		5	14	8.29
पता नहीं	–	–	–	2	2	1.18
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे क्षेत्र के चुने हुए 169 परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि राशन की दुकान माह में 3 से 5 दिन खुलती है जबकि करीब 27 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके यहां राशन की दुकान माह में सिर्फ 2 दिन ही खुली रहती है। क्षेत्र के मात्र करीब 8 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि उनके यहां राशन की दुकान 7 से अधिक दिनों तक खुली रहती है। अतः सर्वे क्षेत्र के लगभग एक–चौथाई से कुछ अधिक परिवारों के अनुसार उनके यहां राशन की दुकान मात्र 2 दिन तक ही खुलती है जिससे सभी लोग इससे लाभांवित नही हो पाते है।

तालिका–20 : उचित मुल्य की दुकान के एक दिन में खुले रहने के घंटे

कितने घंटे खुलती है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
1 से 3 घंटे	16	1	5	32	54	31.95
4 से 5 घंटे	36	16	–	52	104	61.54
पता नहीं	–	9	–	2	11	6.51
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के लगभग 62 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां राशन की दुकान एक दिन में 4 से 5 घंटे खुलती है जबकि करीब 31 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके यहां राशन की दुकान एक दिन में मात्र 1 से 3 घंटे खुलती है। बांसवाड़ा जिले में चुने हुए परिवारों में से तकरीबन 38 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि राशन की दुकान

मात्र 1 से 3 घंटे ही खुलती है। सर्वे क्षेत्र के अधिकतम परिवारों के अनुसार राशन की दुकान 1 दिन में 5 घंटों से अधिक समय तक नही खुली रहती है जबकि पहले यह भी स्पष्ट (तीन चौथाई से अधिक परिवारों के अनुसार) हो चुका है कि दुकान माह में 5 दिन से अधिक नही खुली रहती है जिससे बहुत ही कम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभांवित होते होंगें।

तालिका–21 : राशन वितरण का समयान्तराल

राशन कितने अंतराल में मिलता है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हर माह	33	19	1	33	86	50.89
2 माह	11	7	4	32	54	31.95
2 माह से अधिक	7	–	–	17	24	14.20
पता नहीं	1	–	–	4	5	2.96
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत परिवारों का यह कहना है कि उन्हें राशन दो माह या उससे अधिक अंतराल पर मिलता है। अतः हर माह राशन नही मिलने से लगभग आधे परिवारों की खाद्य सुरक्षा संकट में रहती होगी।

पिछले माह या अन्तिम बार कितना राशन मिला :– राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरीत की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य का विभिन्न श्रेणियों (बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना, ए.पी.एल. एवं अन्नपूर्णा) के लिये अलग– अलग है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का वितरण बी.पी.एल. परिवार को 4.70 रु. प्रति किग्रा. के हिसाब से 35 किग्रा. प्रति माह, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार को 2 रु. प्रति किग्रा. के हिसाब से 35 किग्रा. प्रति माह, ए.पी.एल. परिवार को 6.80 रु. प्रति किग्रा. के हिसाब से 35 किग्रा. प्रति माह तथा अन्नपूर्णा श्रेणी में प्रति माह 10 किग्रा. निःशुल्क वितरीत करने की व्यवस्था है।

तालिका–22 : अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी गेहूं की मात्रा

गेहूं (प्राप्त की गयी मात्रा किग्रा में)	**परिवारों की संख्या**				**प्रतिशत**
	एपीएल	**बीपीएल**	**अन्त्योदय**	**योग**	
नहीं मिला	29	11	1	**41**	**24.85**
10	6	2		**8**	**4.73**
20	5	26	1	**32**	**18.93**
25	–	9	–	**9**	**5.33**
28	3	3	–	**6**	**3.55**
30	–	10	4	**14**	**8.28**
35	3	22	27	**52**	**31.95**
50	–	2	–	**2**	**1.18**
पता नहीं	3	–	–	**3**	**1.18**
कुल योग	**46**	**85**	**33**	**167**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में, जैसा कि पहले स्पष्ट हो चुका है कि चुने हुए परिवारों में एक भी परिवार अन्नपूर्णा श्रेणी में नही है जबकि अन्य श्रेणियों में परिवारों का प्रतिशत बी.पी.एल.(50.30 प्रतिशत), अन्त्योदय अन्न योजना (19.53 प्रतिशत) एवं ए.पी.एल.(28.99 प्रतिशत) है। अतः सभी परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. गेहूं मिलना चाहिये।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल परिवारों में से करीब एक चौथाई परिवार गेहूं लेने से वंचित रहे जबकि लगभग 40 प्रतिशत परिवारों को 35 किग्रा. से कम गेहूं प्राप्त हुआ। क्षेत्र में 35 किग्रा. गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत मात्र 32 के लगभग रहा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र के अधिकतम परिवारों को मानदंड से कम गेहूं प्राप्त हुआ एवं बहुत से परिवार वंचित भी रहे।

तालिका–23 : अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी केरोसीन की मात्रा

केरोसीन (प्राप्त की गयी मात्रा लीटर में)	**परिवारों की संख्या**	**प्रतिशत**
2	3	1.78
3	87	51.48
4	30	17.75
5	32	18.93
10	1	0.59
नहीं मिला	13	7.69
पता नहीं	3	178
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सारणी के अनुसार क्षेत्र के लगभग 51 प्रतिशत से अधिक परिवारों का कहना था कि उन्हें अन्तिम बार मात्र 2 से 3 लीटर केरोसिन मिला जबकि मात्र तकरीबन 19 प्रतिशत परिवारों को ही 5 लीटर केरोसिन प्राप्त हुआ। अतः क्षेत्र में करीब तीन चौथाई परिवारों को 5 लीटर से कम केरोसिन प्राप्त हुआ। अतः क्षेत्र में राशन सामग्री मानदंड से कम वितरीत की जाती है।

तालिका–24 : अन्तिम बार राशन में प्राप्त की गयी शक्कर की मात्रा

शक्कर (प्राप्त की गयी मात्रा किलोग्राम में)	**परिवारों की संख्या**	**प्रतिशत**
1	4	2.37
2	13	7.69
3	5	2.96
4	10	5.92
5	1	0.59
नहीं मिली	134	79.29
पता नहीं	2	1.18
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

क्षेत्र के चुने गए परिवारों में से लगभग 80 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उन्हें पिछले माह शक्कर नहीं मिली जबकि केवल करीब 20 प्रतिशत परिवारों को ही शक्कर मिली। अतः अधिकतम परिवार शक्कर प्राप्त करने से वंचित रहे।

निगरानी सूचक :– राज्य में लक्षित वर्ग के उपभोक्ताओं तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये जिले, तहसील एवं उचित मूल्य की दुकान स्तर पर निगरानी हेतु सतर्कता समीतियां बनी हुई है। इन समीतियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरीत होने वाली वस्तुओं की वितरण व्यवस्था एवं दुकान के संचालन पर निगरानी रखी जाती है।

तालिका–25 : निगरानी सदस्यों के बारे में जानकारी की स्थिति

निगरानी सदस्यों के बारे में जानकारी है ?	**परिवारों की संख्या**				**कुल**	**प्रतिशत**
	उदयपुर	**डूंगरपुर**	**राजसमंद**	**बांसवाड़ा**		
हां	8	3	–	12	23	13.60
नही	44	23	5	74	146	86.40
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे क्षेत्र में चुने हुए परिवारों में से लगभग 86 प्रतिशत परिवारों को निगरानी समीति के सदस्यों के बारे में जानकारी नही है जबकि मात्र करीब 14 प्रतिशत परिवारों को निगरानी समीति सदस्यों के बारे में जानकारी है। अतः लोगों में निगरानी समिती के बारे में जानकारी का अभाव होने से वे सम्बंधीत समस्याओं एवं शिकायतों को समिती तक नही पहुंचा पाते हैं।

राशन कार्ड एवं इन्द्राज से संबंधित जानकारी :

तालिका–26 : राशन कार्ड एवं इसमें इन्द्राज की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	राशन कार्ड किसके पास रहता है?			क्या कार्ड में इन्द्राज सही होता है?		
		स्वयं	अन्य	पता नहीं	हां	नही	पता नहीं
उदयपुर	**52**	42	6	4	35	10	7
डूंगरपुर	**26**	26	0	0	20	5	1
राजसमंद	**5**	5	0	0	4	1	0
बांसवाड़ा	**86**	77	5	4	74	8	4
कुल योग	**169**	**150**	**11**	**8**	**133**	**24**	**12**
प्रतिात	**100**	**88.76**	**6.51**	**4.73**	**78.70**	**14.20**	**7.10**

स्रोत : आस्था सर्वे

चुने हुए 169 परिवारों में लगभग 89 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि राशन कार्ड स्वयं उनके पास पाए गए। शेष परिवारों के राशन कार्ड अन्य व्यक्ति जैसे डीलर आदि के पास थे जबकि कुछ परिवारों को इसके बारे में पता ही नही था। उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले में कुछ परिवारों ने बताया कि राशन कार्ड डीलर अपने पास ही रखता है।

राशन कार्ड में इन्द्राज के संबंध में लगभग 79 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके राशन कार्ड में इन्द्राज सही होता है जबकि करीब 14 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि उनके राशन कार्ड में इन्द्राज सही नही होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) :

निम्न सारणी सर्वे क्षेत्र में महानरेगा जॉब कार्ड के संबंध में प्राप्त जानकारी को दर्शाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत जॉब कार्ड ही एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो मजदूरों के पास रहना चाहिये। जिसमें, किये गये कार्यों के दिनों की संख्या और प्राप्त राशि का विवरण इन्द्राज होता है।

तालिका–27 : जॉब कार्ड एवं इसमें इन्द्राज की स्थिति

जॉब कार्ड भरा जाता है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हाँ	44	16	2	24	**86**	**50.89**
अधूरा	5	4	–	14	**23**	**13.61**
नहीं	2	1	3	5	**11**	**6.51**
जॉब कार्ड पास मे नहीं है	1	5	–	43	**49**	**28.99**
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे में चुने गए परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड में अद्यतन इन्द्राज पाया गया। जबकि लगभग 20 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड तो मिले लेकिन या तो वो अधूरे इन्द्राज वाले थे या बिल्कुल खाली। इसके विपरीत करीब 29 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं मिले। बांसवाड़ा जिले में चुने हुए परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड नही थे। इन परिवारों के अनुसार जॉब कार्ड या तो मेट के पास है या पंचायत में। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वे क्षेत्र में करीब 50 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड में अनियमिताएं हो सकती है।

काम के लिये आवेदन एवं काम मिलने के संबंध में जानकारी :– जैसा कि सर्वविदित् है कि महानरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें 100 दिवस के रोजगार चाहने हेतु आवेदन करना होता है।

तालिका–28 : काम के लिये आवेदन एवं काम का मिलना

जिला	कुल लाभार्थी	काम के लिये आवेदन करते है ?			काम मांगने पर काम मिलता है ?		
		हां	नही	पता नहीं	हां	नही	पता नहीं
उदयपुर	**52**	30	21	1	6	43	3
डूंगरपुर	**26**	14	6	6	13	5	8
राजसमंद	**5**	4	1	–	2	1	2
बांसवाड़ा	**86**	22	58	6	28	48	10
कुल योग	**169**	**70**	**86**	**13**	**49**	**97**	**23**
प्रतिात	**100**	**41.42**	**50.89**	**7.69**	**34.49**	**57.40**	**8.11**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे में चुने गए परिवारों में से लगभग 41 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि वे काम के लिये आवेदन करते हैं। इसके विपरीत करीब 51 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके वहां काम के लिये आवेदन की प्रक्रिया स्थापित नहीं है जिससे पंचायतों की मनमर्जी से ही मजदूरों को काम पर लगाया जाता है। जबकि करीब 8 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उन्हें काम के लिये आवेदन करने के बारे में जानकारी नही है अर्थात वे काम के लिये आवेदन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे।

चुने हुये परिवारों में से करीब 57 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि हम जब काम जरुरत होने पर काम मांगते है तो हमें काम नहीं मिलता है। मात्र करीब 34 प्रतिशत परिवारों ने ही बताया कि काम मांगने पर उन्हें काम मिल जाता है। जबकि नियमानुसार कोई भी पंजीकृत परिवार साल में कभी भी काम मांगने का अधिकार रखता है।

रसीद प्राप्त होने के संबंध में :–काम के लिये आवेदन एवं उसकी रसीद मिलने के प्रावधान का अर्थ है कि 15 दिन में काम मुहैया करवाये जाने की गारंटी अन्यथा घर बैठे नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर किसी आवेदनकर्त्ता के पास रसीद नहीं है तो उसके लिये उपरोक्त समयावधि में काम देने की गारंटी अन्यथा बेरोजगारी भत्ता जैसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं रह जाता है।

तालिका–29 : महानरेगा योजना में रसीद प्राप्ति की स्थिति

रसीद प्राप्त होती है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हां	–	5	–	15	20	11.83
नहीं	51	11	5	62	129	76.34
पता नहीं	1	10	–	9	20	11.83
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे में करीब 12 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हें रसीद प्राप्त होती है जबकि 76 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि उन्हें रसीद प्राप्त नही होती है। जबकि शेष परिवारों का कहना था कि उन्हे रसीद प्राप्ती के संबंध में पता नही है। अतः सर्वे में अधिकतम परिवारों को रसीद प्राप्त नही होती है।

कार्य की प्रकृति :– राजस्थान में महानरेगा के अन्तर्गत काम टास्क के आधार पर आवंटित किया जाता है अर्थात जितना काम उतने दाम। इस व्यवस्था को स्थापित करने हेतु मजदूरों के 5–5 के समूह बनाकर टास्क का आवंटन किया जाता है जिससे मजदूरों को समूह आधारित काम और किये गये काम की पूरी मजदूरी मिल सके। दैनिक कार्य माप प्रपत्र रोजाना मेट द्वारा भरे जाने का प्रावधान है ताकि समूह में कितना काम दिया और कितना किया, ताकि काम करने वाले मजदूरों के साथ न्याय हो सके।

तालिका–30 : कार्य की प्रकृति

काम समूह में दिया जाता है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
हां	115	68.04
नही	42	24.85
पता नहीं	12	7.10
कुल योग	169	100

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में लगभग 68 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि काम तो समूह में दिया जाता है जबकि करीब 25 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि हमें समूह के आधार पर काम नहीं दिया जाता है। लगभग 7 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उन्हें काम की सामुहिक व्यवस्था के बारे में पता ही नही है।

मेट के संबंध में जानकारी :– महानरेगा में काम करने वालें मजदूरों को पूरा न्याय मिले इसके लिये प्रत्येक 40 मजदूरों पर एक मेट (कार्यस्थल व्यवस्थापक) की नियुक्ति की व्यवस्था है। मेट को तकनीकी और कानूनी रूप से संपूर्ण जानकारी हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

तालिका–31 : प्रशिक्षित मेट एवं दैनिक कार्यमाप प्रपत्र भरे जाने की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	मेट प्रशिक्षित है ?			दैनिक कार्यमाप प्रपत्र भरा जाता है ?		
		हां	नही	पता नहीं	हां	नही	पता नहीं
उदयपुर	**52**	43	8	1	34	17	1
डूंगरपुर	**26**	20	5	1	11	12	3
राजसमंद	**5**	2	0	3	2	0	3
बांसवाड़ा	**86**	47	33	6	40	38	8
कुल योग	**169**	**112**	**46**	**11**	**87**	**67**	**15**
प्रतिशत	**100**	**66.27**	**27.22**	**6.51**	**51.48**	**39.64**	**8.88**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार लगभग 66 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके साथ जो मेट नियुक्त हैं, वो प्रशिक्षित है। जबकि लगभग 27 परिवारों के अनुसार उनके कार्यस्थल के मेट अप्रशिक्षित है, जो मजदूरों द्वारा मेहनत से किये गये कार्य को नही नाप सकते हैं जिससे मजदूरों को उचित मजदूरी नही मिल पाती है।

सर्वे में चयनित परिवारों में से लगभग 51 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल में मेट द्वारा अलग–अलग समूहों को दिये गये काम और उनके द्वारा किये गये काम को दैनिक माप प्रपत्र में मेट द्वारा भरा जाता है। जबकि 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके द्वारा किये गये काम को दैनिक माप प्रपत्र में नही भरा जाता है एवं करीब 9 प्रतिशत परिवारों में दैनिक कार्यमाप प्रपत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी का अभाव था।

कार्यस्थल सुविधाओं के संबंध में सूचक :–

तालिका–32 : कार्यस्थल पर सुविधाओं की स्थिति

कार्यस्थल सुविधायें हैं ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हां	20	13	2	51	86	50.89
अधूरी	27	10	–	6	43	25.44
नहीं	4	2	–	22	28	16.57
पता नहीं	1	1	3	7	12	7.10
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के लगभग 51 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उनके कार्यस्थल पर विभिन्न सुविधाओं जैसे छाया, पानी, दवाई और पालना की व्यवस्था की जाती है जबकि करीब 25 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर इन सुविधायें की आधी अधूरी व्यवस्था होती है। इसके विपरीत लगभग 17 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर छाया, पानी, दवाई और पालना आदि सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती है।

मजदूरी भुगतान सूचक :–

तालिका–33 : प्राप्त होने वाली मजदूरी (रुपये)

मजदूरी कितनी आती है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
40 से 60	62	36.69
60 से 80	71	42.01
80 से 100	19	11.24
पता नहीं	17	10.06
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

महानरेगा में 100 रूपये की न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के बावजूद इसमें समूह में कार्य करने की टास्क व्यवस्था के आधार पर केवल लगभग 11 प्रतिशत परिवार ही 80 से 100 रूपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। जबकि 79 प्रतिशत परिवारों को 40 से 80 रूपये ही मजदूरी मिल रही है एवं इनमें भी लगभग आधे परिवार 60 रूपये से भी कम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

मजदूरी भुगतान का समयान्तराल :– नरेगा कानून में नियमानुसार मजदूरी का भुगतान एक पखवाड़े उपरान्त अर्थात् 7 से 15 दिवस में हो जाना चाहिये अन्यथा नियमानुसार भत्ता मिलना चाहिये।

तालिका–34 : मजदूरी भुगतान का समयान्तराल

भुगतान काम के कितने दिनों बाद होता है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
15 दिन से 1 माह	20	11.83
1 माह से 2 माह	72	42.60
2 माह से अधिक	62	36.69
पता नहीं	15	8.88
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुल परिवारों में से लगभग 42 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हे भुगतान 1 से 2 माह में ही मिल जाता है जबकि लगभग 37 प्रतिशत परिवारों को तो 2 माह से भी अधिक समय तक भुगतान का इंतजार करना होता है। मात्र करीब 11 प्रतिशत परिवारों को ही 1 माह के अंदर भुगतान मिला।

तालिका–35 : भुगतान की प्रकृति

भुगतान औसत आता है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
हां	147	86.98
नही	8	4.74
पता नहीं	14	8.28
कुल योग	169	100

स्रोत : आस्था सर्वे

महानरेगा में सामूहिक कार्य की टास्क व्यवस्था के आधार पर अलग–अलग समूहों का भुगतान औसत नहीं आ सकता है। इसके बावजूद सर्वे के कुल परिवारों में से 87 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके द्वारा अलग–अलग समूह में कार्य करने पर भी सभी का भुगतान लगभग एक सा ही आता है। अर्थात जिन्होंने पूरा काम किया उनको भी उतनी ही मजदूरी मिल रही है जितना कि कम काम करने वालों को।

तालिका–36 : पिछले वर्ष काम मिलने के दिन

पिछले वर्ष कितने दिन काम मिला ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
0	9	5.32
1–30	25	14.80
31–60	30	17.75
61–90	35	20.71
91–100	41	24.26
पता नहीं	29	17.16
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में चुने गये कुल 169 परिवारों में से मात्र करीब 24 प्रतिशत परिवारों को ही महानरेगा के अन्तर्गत गतवर्ष 91 से 100 दिनों का रोजगार मिला, जबकि 9 परिवारों को तो आवेदन के बावजूद भी पिछले वर्ष में एक भी दिन काम नहीं मिला। इसके अलावा अधिकांश परिवारों को पिछले वर्ष 30 से 90 दिनों तक ही रोजगार मिला। अतः सर्वे क्षेत्र में पिछले वर्ष पूरे 100 दिनों का रोजगार बहुत ही कम परिवारों को मिला।

तालिका–37 : पिछले वर्ष प्राप्त की गई मजदूरी (रुपये में)

पिछले वर्ष कितनी मजदूरी मिली ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
पता नही	66	**39.05**
0	9	5.32
1–3000	35	20.71
3001–6000	45	26.63
6001–9000	12	7.11
9001–10000	2	1.18
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वे के कुल 169 परिवारों में से पिछले वर्ष मात्र 2 परिवारों ने ही महानरेगा के अन्तर्गत एक साल में 9001 से 10000 रु. तक मजदूरी प्राप्त की, जबकि तालिका–36 के अनुसार 41 परिवारों ने 91 से 100 दिन कार्य किया था। चुने हुए परिवारों में से 12 परिवारों को 6001 से 9000 रूपये तक मजदूरी प्राप्त हुई, जबकि 45 परिवारों के अनुसार उन्हें 3001 से 6000 रूपये के बीच मजदूरी प्राप्त की। 35 परिवारों को 3000 रू. या उससे भी कम मजदूरी प्राप्त की। उपरोक्त दोनो तालिकाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि सवे क्षेत्र के अधिकतम परिवारों को महानरेगा के अन्तर्गत कम दर एवं मापदंड से बहुत ही कम मजदूरी मिल रही है।

तालिका–38 : इस वर्ष काम मिलने के दिन

इस वर्ष (2009–10) में कितने दिन काम किया ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
–	70	41.42
0	41	24.26
1–30	22	13.02
31–60	13	7.70
61–90	10	5.92
91–100	12	7.10
100 दिन से अधिक		0.58
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में महानरेगा के तहत कार्य करने वाले 99 परिवारों में से 41 परिवारों को इस वर्ष में जनवरी 2010 तक एक भी दिन का रोजगार नही मिला। सर्वे दिनांक तक कुल 12 परिवारों ने ही 90 से 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया, जबकि 25 परिवारों को 40 दिन से कम दिनों का रोजगार प्राप्त किया।

सर्वे तिथि के पहले और बाद तक विधानसभा और पंचायतों के चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी हुई थी और इस दौरान सभी सरपंचों द्वारा नियमों के विरूद्ध महानरेगा के कामों को बंद कर रखा था। इस कारण मजदूरों के चाहने के बाबजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाया और न ही मजदूरी।

तालिका–39 : इस वर्ष प्राप्त की गई मजदूरी (रुपये में)

इस वर्ष कितना पैसा मिला ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
–	98	57.98
0	38	22.48
1–3000	17	10.06
3001–6000	7	4.14
6001–9000	6	3.56
9001–10000	3	1.78
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

क्षेत्र में मजदूरी प्राप्त करने वाले कुल 71 परिवारों में से 3 परिवारों ने ही 9001 से 10000 रूपये तक मजदूरी प्राप्त की, जबकि 38 परिवारों को उनके किये गये काम का भुगतान नहीं मिला। सर्वे क्षेत्र के 10 परिवार ऐसे थे, जिन्हें 5000 रूपये से कम मजदूरी प्राप्त हुई है। अतः क्षेत्र में अधिकांश परिवार भुगतान प्राप्त करने से वंचित पाए गए।

मजदूरी में प्राप्त रुपयों का उपयोग :

तालिका–40 : मजदूरी में प्राप्त रुपयों का उपयोग

मजदूरी का उपयोग	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
खाद्यान्न में	82	57.74
कर्ज चुकाने में	1	0.70
खाद्यान्न + दवाई में	37	26.06
खाद्यान्न + दवाई + पढाई में	8	5.64
खाद्यान्न + पढाई में	8	5.64
खाद्यान्न + कर्ज चुकाने में	5	3.52
खाद्यान्न + दवाई + कर्ज चुकाने में	1	0.70
कुल योग	**142**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में लगभग 57 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होंने महानरेगा में प्राप्त मजदूरी के पैसों का उपयोग खाद्यान्न हेतु किया, जबकि शेष परिवारों के अनुसार मजदूरी में मिले पैसों का उपयोग खाद्यान्न के साथ दवाई, बच्चों की पढाई एवं कर्ज चुकाने में किया।

महानरेगा में पारदर्शिता सूचक :– इस योजना में पारदर्शिता हेतु कार्यस्थल बोर्ड एक अति आवयक माध्यम निर्धारित किया गया है ।

तालिका–41 : कार्यस्थल बोर्ड के बारे में जानकारी

कार्यस्थल बोर्ड है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हां	7	14	0	43	64	37.86
नहीं	38	10	2	35	85	50.30
पता नहीं	7	2	3	8	20	11.84
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे क्षेत्र में मात्र करीब 38 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थलों पर जानकारी संबंधित बोर्ड लगे हुये है, जबकि लगभग 50 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर जानकारी से संबंधित किसी प्रकार के बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनके गांव में विकास हेतु उनके नाम पर कितने राशि आ रही है और कितनी खर्च हो रही है।

सामाजिक अंकेक्षण :– रोजगार गारंटी कानून के अनुसार संपूर्ण कार्यों की साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभायें आयोजित करना अनिवार्य है। जिसमें पूर्ण कार्यों के लेखे जोखे व्यवस्थित रूप से सभी के सामने रखे जाते हैं और विभिन्न समस्याओं एवं आपत्तियों को दर्ज किया जाता है। जिससे पारदर्शिता और जबाबदेही जैसी व्यवस्थायें स्थापित हो सके।

तालिका–42 : सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में भागीदारी

आपने सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में भाग लिया है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
नही	45	13	3	73	134	79.29
हां	5	6	0	6	17	10.06
पता नही	2	7	2	7	18	10.65
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	100

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में कुल चयनित 169 परिवारों में से लगभग मात्र 10 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उन्होने सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में भाग लिया है, जबकि लगभग 79 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होने कभी भी सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा में भाग नहीं लिया और न ही उन्हें कभी सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के समय सूचना मिली। इसके अलावा लगभग 11 प्रतिशत परिवारों में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। अतः क्षेत्र में अधिकतम लोगों ने महानरेगा की सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में भाग नहीं लिया, जिसके प्रमुख कारण संभवयतया लोगों को सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन की सुचना नही मिलना एवं इसके बारे में जानकारी का अभाव होना है।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.) :

राज्य के बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं (गर्भवती एवं धात्री) की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आश्यकताएं तथा बेहतर जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

बच्चों को पोषाहार– आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा एवं टीकाकरण आदि सुविधाएं मुहैया की जाती है। इन सुविधाओं हेतु राज्य में स्वीकृत 304 बाल विकास परियोजनाओं में से 228 ग्रामीण क्षेत्र में, 36 जनजाति क्षेत्र में एवं 40 शहरी क्षेत्र में संचालित है।

तालिका–43 : बच्चों को वितरीत पोषाहार की स्थिति

सामग्री	मात्रा (ग्राम में)	लाभांवितो की संख्या
आटा	135 ग्राम	2
	250 ग्राम	7
	100 ग्राम	5
	80 ग्राम	4
	50 ग्राम	4
	कुल	**22**
दलिया	2 कटोरी	23
	700 ग्राम	1
	500 ग्राम	3
	135 ग्राम	7
	160 ग्राम	1
	कुल	**35**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र में समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत लाभ लेने वाले कुल 57 परिवारों के बच्चों में से 22 परिवारों के बच्चों को सूखा आटा और 35 परिवारों के बच्चों को दलिया पोषाहार के रूप में प्राप्त हुआ। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि अलग–अलग गांवों में बच्चों को अलग–अलग पोषाहार की मात्रा दी जा रही है। आटा प्राप्त करने वाले बच्चों को 80 से 250 ग्राम पोषाहार प्राप्त हो रहा है एवं 100 से 700 ग्राम तक दलिया पोषाहार के रूप में दिया जा रहा है।

तालिका–44 : गर्भवती महिलाओं को वितरीत पोषाहार की स्थिति

सामग्री	मात्रा (ग्राम में)	लाभांवितो की संख्या
आटा	1000	4
	900	2
	500	5
	250	26
	160	1
	100	8
	50	4
	कुल	**50**
चावल	54	1

स्रोत : आस्था सर्वे

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत नियमानुसार गर्भवती महिलाओं को 900 ग्राम पोषाहार प्रति सप्ताह दिया जाना चाहिए। सर्वे में चयनित 169 परिवारों में से इसका लाभ लेने वाले 51 परिवारों की महिलाओं में से मात्र 2 गर्भवती महिलाओं ने ही 900 ग्राम पोषाहार प्राप्त किया, जबकि 44 महिलाओं को केवल 50 से 500 ग्राम तक पोषाहार प्राप्त हुआ। कुल लाभांवित परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवारों ने मात्र 250 ग्राम पोषाहार प्राप्त किया एवं शेष आधे परिवारों ने इससे भी कम पोषाहार प्राप्त किया। केवल एक परिवार ने पोषाहार के रूप में 54 ग्राम चावल प्रति सप्ताह प्राप्त किया। अतः क्षेत्र में इस कार्यक्रम के तहत लाभ लेने कुल परिवारों में से लगभग 86 प्रतिशत परिवारों को मापदंड से बहुत कम पोषाहार प्राप्त हुआ।

तालिका–45 : किशोरियों को वितरीत पोषाहार की स्थिति

सामग्री	मात्रा (ग्राम में)	कुल
आटा	250	7
	100	4
	50	4
	कुल	**15**
चावल	**1 प्लेट**	**14**
बिस्कीट	**1 पेकेट**	**1**

स्रोत : आस्था सर्वे

क्षेत्र में कुल चयनित 169 परिवारों में से 30 परिवारों की किशोरियों ने पोषाहार प्राप्त किया, जो आटा, चावल और बिस्कीट के रूप में पोषाहार मुहैया करवाया गया। कुल लाभ लेने वाले परिवारों में से आधे परिवारों को आटा और

शेष आधे परिवारों को चावल के रुप में पोषाहार प्राप्त हुआ। इसके अलावा 7 परिवारों को 250 ग्राम आटा और 1 परिवार को 1 पैकेट बिस्कीट ही उपलब्ध कराया गया।

तालिका–46 : गांव में आंगनवाडी भवन की उपलब्धता

आंगनवाडी भवन कहां स्थित है ?	परिवारों की संख्या				कुल	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
गांव में	27	9	4	36	76	44.97
बाहर	2	–	–	12	14	8.28
पता नही	23	17	1	38	79	46.75
कुल योग	52	26	5	86	169	100

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में चयनित परिवारों में से लगभग 45 प्रतिशत परिवारों ने बताया उनके गांव में ही आंगनवाड़ी भवन उपलब्ध है, जबकि लगभग 8 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि आंगनवाड़ी भवन गांव से बाहर स्थित है। जिससे उनके बच्चे, किशोरियां एवं महिलाएं पोषाहार, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।

तालिका–47 : आंगनवाडी भवन के एक माह में खुले रहने के दिन

आंगनवाड़ी माह में कितने दिन खुलती है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1 से 10 दिन	1	0.59
10 से 20 दिन	30	17.75
20 दिन से अधिक	44	26.04
पता नही	94	55.62
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे के कुल 169 परिवारों में से लगभग 18 प्रतिशत परिवारों के अनुसार आंगनवाड़ी भवन 10 से 20 दिन ही खुलता है, जबकि लगभग 26 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां आंगनवाड़ी केन्द्र 20 दिन से अधिक खुला रहता है।

तालिका–48 : आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्त्ताओं की संख्या

आंगनवाड़ी केन्द्र पर कितने कार्यकर्ता हैं ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	3	1.78
2	20	11.83
3	38	22.49
पता नही	108	63.90
कुल योग	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुल 169 परिवारों में से लगभग 12 से 13 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां के आंगनवाडी भवन में 1–2 कार्यकर्त्ता है, जबकि करीब 22 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां आंगनवाडी केन्द्र में 3 कार्यकर्त्ता है। क्षेत्र के करीब 64 प्रतिशत परिवारों में उनके यहां आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। अतः सर्वे क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्त्ताओं की कमी की समस्या भी कुछ हद तक है।

स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं शिक्षण संबंधी सामग्री की जानकारी :

तालिका–49 : आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	स्वास्थ्य जांच होती है ?			टीकाकरण होता है ?		
		हां	नही	प्रतिशत	हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	28	26	2	92.85	26	2	92.85
डूंगरपुर	8	6	2	75.00	8	–	100.00
राजसमंद	1	1	–	100.00	1	–	100.00
बांसवाड़ा	33	22	11	66.67	33	–	100.00
कुल	**70**	**55**	**15**	**78.57**	**68**	**2**	**97.14**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों में से लगभग 78 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके यहां आंगनवाड़ी केन्द्र पर नियमित स्वास्थ्य की जांच होती है, जबकि शेष लगभग 12 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके यहां स्वास्थ्य की जांच नही होती है। अतः क्षेत्र में समन्वित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत लाभ लेने वाले अधिकतम परिवारों के अनुसार उनके यहां आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य की जांच होती है।

सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों में से लगभग 97 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर टीकाकरण होता है, जबकि मात्र 3 प्रतिशत परिवारों (2 परिवार) ने कहा कि टीकाकरण नही होता है। अतः लाभार्थी परिवारों में से अधिकतम परिवारों के अनुसार उनके यहां, आंगनवाड़ी केन्द्र पर नियमित टीकाकरण होता है।

तालिका–50 : आंगनवाड़ी केन्द्र पर शिक्षण संबंधी सामग्री की उपलब्धता

जिला	कुल लाभार्थी	शिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध है ?		
		हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	**28**	6	22	21.42
डूंगरपुर	**7**	6	1	85.71
राजसमंद	**1**	0	1	100.00
बांसवाड़ा	**31**	27	4	87.09
कुल	**67**	**39**	**28**	**58.25**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों में से लगभग 58 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रशिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध रहती है , जबकि शेष लगभग 42 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर किसी प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं रहती है। उदयपुर जिले में इस योजना का लाभ लेने वाले करीब 78 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि केन्द्र पर शिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध नही रहती है।

तालिका–51 : निगरानी समिति एवं भेदभाव की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	निगरानी समिति है ?			किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है ?		
		हां	नही	प्रतिशत	हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	27	19	8	70.37	0	27	0.00
डूंगरपुर	6	3	3	50.00	–	6	0.00
राजसमंद	1	–	1	100.00	–	1	0.00
बांसवाड़ा	33	10	23	30.30	2	31	6.06
कुल	**67**	**32**	**35**	**47.76**	**2**	**65**	**2.98**

स्रोत : आस्था सर्वे

कुल लाभार्थी परिवारों में से लगभग 47 प्रतिशत परिवारों के अनुसार निगरानी समिति तो बनी है परन्तु सक्रिय नहीं है, जबकि शेष करीब 53 प्रतिशत परिवारो के अनुसार उनके यहां के आंगनवाड़ी केन्द्र पर निगरानी समिति नहीं बनी है। अतः अधिकतम परिवारों ने बताया कि आंगनवाड़ियों के लिये कोई निगरानी समिति नही है।

कुल लाभार्थी परिवारों में से मात्र लगभग 3 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं अन्य लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव किये जाते है, जबकि शेष 97 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि केन्द्र पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होता है।

मध्याह्न भोजन (मिड–डे–मिल) योजना :

तालिका–52 : मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी

मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी है ?	जिलेवार परिवारों की संख्या				कुल योग	प्रतिशत
	उदयपुर	डूंगरपुर	राजसमंद	बांसवाड़ा		
हां	38	19	4	39	**100**	**59.18**
नही	14	7	1	44	**69**	**40.82**
कुल योग	**52**	**26**	**5**	**86**	**169**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे क्षेत्र के चुने हुए 169 परिवारों में से लगभग 59 प्रतिशत (100 परिवार) परिवारों के बच्चे स्कूल जाते है अर्थात् इस कार्यक्रम के लाभार्थी है।

तालिका–53 : भोजन की पर्याप्तता एवं मैनु की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	भोजन पर्याप्त मिलता है ?			भोजन बदल–बदल मिलता है ?		
		हां	नही	प्रतिशत	हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	38	38	0	100	15	23	39.47
डूंगरपुर	19	13	6	68.42	14	5	73.68
राजसमंद	4	4	0	100	4	0	100
बांसवाड़ा	39	16	22	41.02	33	6	69.23
कुल	**100**	**72**	**28**	**72**	**63**	**37**	**63**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार मिड–डे–मील योजना का लाभ लेने वाले कुल 100 परिवारों में से 72 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उनके बच्चों को भोजन पर्याप्त मिलता है, जबकि 28 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके बच्चों को भोजन पर्याप्त रुप से नही मिलता है। बांसवाड़ा जिले में मात्र करीब 41 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि भोजन पर्याप्त मिलता है, जबकि शेष करीब 59 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि भोजन पर्याप्त नही दिया जाता है।
मिड–डे–मील योजना का लाभ लेने वाले कुल 100 परिवारों में से 63 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके बच्चों को भोजन मैनु (बदल–बदल कर) के आधार पर मिलता है। जबकि 37 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके बच्चों को भोजन मैनु (बदल–बदल कर) के आधार पर नही मिलता है। उदयपुर जिले में सर्वे में शामिल लाभांवित परिवारों में से करीब 61 प्रतिशत (सर्वाधिक) ने बताया कि भोजन बदल–बदल कर नही दिया जाता है।
अतः सर्वे क्षेत्र में भोजन के पर्याप्त (भरपेट) नही मिलने एवं भोजन के मैनु (बदल–बदल कर) के आधार पर नही मिलने की समस्याएं भी है।

तालिका–54 : भोजन बनाने में बाहरी ऐजेंसी का प्रभाव

भोजन कौन बनाता है ?	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
स्थानीय स्तर पर	89	89
बाहरी ऐजेंसी द्वारा	11	11
कुल योग	**100**	**100**

स्रोत : आस्था सर्वे

मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत भोजन के पकाने के संबंध में लाभ लेने वाले 100 परिवरों में से 89 प्रतिशत ने बताया कि भोजन स्थानीय स्तर पर अर्थात् लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है जबकि 11 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि भोजन बाहरी ऐजेंसी द्वारा बनाया जाता है।

तालिका–55 : पेयजल की व्यवस्था एवं भेदभाव की स्थिति

जिला	कुल लाभार्थी	पेयजल की व्यवस्था है ?			किसी प्रकार का भेदभाव होता है ?		
		हां	नही	प्रतिशत	हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	38	38	0	100	8	30	21.38
डूंगरपुर	19	16	3	84.21	1	18	5.26
राजसमंद	4	4	0	100	1	3	25
बांसवाड़ा	39	34	5	87.18	2	37	5.12
कुल	**100**	**92**	**8**	**92**	**12**	**88**	**12**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार मिड–डे–मील योजना का लाभ लेने वाले कुल 100 परिवारों में से 92 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि शाला में पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, जबकि मात्र 8 फीसदी लाभार्थियों के अनुसार पेयजल की व्यवस्था नही रहती है। सर्वे में शामिल बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के परिवारों में से करीब 15 प्रतिशत परिवारों के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था नही की जाती है।

इसी प्रकार भोजन में भेदभाव के संबंध में कुल लाभांवित परिवारों में से 12 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके बच्चों के साथ भोजन के समय भेदभाव होता है, जबकि शेष परिवारों का कहना था कि उनके बच्चों के साथ भोजन के समय भेदभाव नही होता है। अतः सर्वे क्षेत्र में मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले भोजन में भेदभाव की स्थिति भी कुछ हद तक है।

तालिका–56 : शाला कमिटी का गठन

जिला	कुल लाभार्थी	शाला कमिटी बनी हुई है ?		
		हां	नही	प्रतिशत
उदयपुर	38	25	13	65.78
डूंगरपुर	19	7	12	36.84
राजसमंद	4	1	3	25
बांसवाड़ा	39	18	21	46.15
कुल	**100**	**51**	**49**	**51**

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में करीब 51 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि विद्यालयों में मिड–डे–मील हेतु शाला कमिटी बनी हुई है, जबकि शेष 49 फीसदी के अनुसार शाला कमिटी नही बनी हुई है। जिलेवार स्थिति के अनुसार बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में बहुत से परिवारों ने बताया कि उनके गांव के विद्यालयों में शाला कमेटी बनी नही हुई है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थिति

तालिका–57 : वृद्धावस्था पेंन एवं विधवा पेंन के लाभार्थी

क्या आप राष्ट्रीय पेंन योजना के लाभार्थी है ?	वृद्धावस्था पेंन	विधवा पेंन	कुल
हां	15	2	17
नही	–	–	152
कुल योग	**15**	**2**	**169**

स्रोत : आस्था सर्वे

उपरोक्त सारणी के अनुसार सर्वे क्षेत्र में चुने हुए परिवारों में से 17 परिवार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी पाये गए, जिनमें से 15 परिवार वृद्धावस्था पेंशन तथा 2 परिवार विधवा पेंशन लाभार्थी थे। उपरोक्त सभी लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें 400 रु. प्रति माह पेंशन मिलती है एवं इनमें से 6 लाभार्थियों ने बताया कि पेंशन राशि से 10–20 रूपये डाकिया हर महीने ले लेता है।

राज्य में वनभूमि पर अधिकार की स्थिति :

तालिका–58 : राज्य में वन अधिकार हेतु दावों में वितरीत अधिकर पत्रों की स्थिति

जिला	वन अधिकार हेतु दावों की संख्या	स्वीकृत दावे	निरस्त दावे	वितरीत अधिकर पत्र पत्रों की संख्या
उदयपुर	10420	5494	4926	5494
डूंगरपुर	6449	3923	2536	3923
बांसवाड़ा	19416	11155	8261	11155
प्रतापगढ	15735	6734	15735	6734
राजसमंद	1015	136	879	136
राजस्थान	**60353**	**29923**	**30182**	**29923**

स्रोत : वनभूमि अधिकार अधिनियम की प्रगति (30.4.2010 तक)

वनभूमि पर अधिकार के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्र (जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ एवं सिरोही जिले शामिल है) के 4718 गांवों एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6200 गांवों में वन अधिकार समितियां गठित की गई है। वन

भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु राज्य के करीब 60353 आदिवासी परिवारों ने दावे किये थे, जिसमें से मात्र 29923 दावे स्वीकृत करके अधिकार पत्र वितरीत किये गए। जबकि 30182 दावे सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए।[22]

सर्वे क्षेत्र की स्थिति :

तालिका–59 : सर्वे क्षेत्र में वन अधिकार हेतु दावों में वितरीत अधिकर पत्रों की स्थिति

वन भूमि अधिकार संबंधी तथ्य		जिला				कुल योग
		उदयपुर	डगरपुर	राजसमंद	बांसवाडा	
वन अधिकार हेतु दावा किया?	नही	26	14	3	73	116
	हां	26	12	2	13	53
कितने बीघा वन भूमि है?	0 से 4 बीघा	8	6	1	11	26
	4 बीघा से अधिक	18	6	1	2	27
स्तर	निरस्त	3			1	4
	ग्राम सभा	16	2	2	9	29
	ब्लॉक स्तर	3	1		3	7
	अधिकार पत्र प्राप्त हुआ	2	4			6

स्रोत : आस्था सर्वे

सर्वे में चुने हुए कुल 169 परिवारों में से मात्र 53 परिवारों (लगभग 31 प्रतिशत) ने ही वनभूमि अधिकार हेतु आवेदन किये, जिसमें सर्वाधिक उदयपुर जिले के 26 परिवार थे।

क्षेत्र में वनभूमि पर अधिकार हेतु आवेदन करने वाले परिवारों में से लगभग 51 प्रतिशत परिवारों के पास 4 बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जा पाया गया। जबकि शेष के पास 4 बीघा से कम वन भूमि पर कब्जा है।

वनभूमि पर अधिकार हेतु आवेदन करने वाले कुल 53 परिवारो में से 29 परिवारों (लगभग 68 प्रतिशत) के आवेदन तो ग्राम सभा स्तर पर ही थे, जबकि लगभग मात्र 7 परिवारों (13 प्रतिशत) परिवारों के आवेदन उपखण्ड स्तर पर पहुंचे थे। सर्वे में एक भी परिवार ऐसा नही था, जिसका आवेदन जिला स्तर पर पहुंचा हो।

आवेदनकर्त्ताओं में से मात्र 6 परिवारों (करीब 11 प्रतिशत) को ही वन अधिकार मान्यता कानून के तहत अधिकार पत्र प्राप्त हुये, जिसमें सर्वाधिक 4 परिवार डूंगरपुर जिले में पाये गए। जबकि लगभग 8 प्रतिशत आवेदनकर्त्ताओं के आवेदन खारिज हो गये।

---

[22] अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति की प्रगति (30.4.2010)

5 निष्कर्ष

- विश्व में भुखमरी की सर्वाधिक समस्या वाले 88 देशों पर बनाए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स मे भारत 65वें स्थान पर है।
- भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स के अनुसार राजस्थान की स्थिति गंभीर (21.00 अंक, जो अखिल भारतीय अंक–23.7 अंक से कुछ ही कम है) है।
- राजस्थान में 34.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
- राज्य में एसआरएस–2009 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, 63/1000 जीवित जन्म पर है, जबकि राष्ट्रीय औसत (53/1000) है।
- राज्य में मातृ मृत्यु दर (388/1 लाख जीवित जन्म पर) भी राष्ट्रीय औसत (254/1 लाख जीवित जन्म पर) से अधिक है।
- एनएफएचएस–3 के अनुसार राज्य में 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में एनिमिया का प्रतिशत (79.1) भी राष्ट्रीय औसत (78.9) से कुछ अधिक है एवं इनमें अल्पवजनता का प्रतिशत 36.8 है।
- राज्य में एनिमिया से ग्रसित महिलाओं का प्रतिशत (53.8) है, जबकि गर्भवती महिलाओं में एनिमिया का प्रतिशत (61.7) भी राष्ट्रीय औसत (57.9) से अधिक है। राज्य में 33.6 प्रतिशत महिलाओं का शरीर सामान्य से कम बी.एम.आई. का है।
- राज्य में वन भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु करीब 60353 आदिवासी परिवारों ने दावे किये जिसमें से मात्र 29923 दावे स्वीकृत करके अधिकार पत्र वितरीत किये गए। जबकि 30182 दावे सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए।
- लगभग 47.34 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि राशन की दुकान गांव के बाहर स्थित है।
- सर्वे क्षेत्र के लगभग आधे परिवारों के अनुसार उनके यहां राशन की दुकान 2 से 5 दिन तक ही खुलती है, जिससे सभी लोग इससे लाभांवित नही हो पाते है।
- क्षेत्र के लगभग 31 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके यहां राशन की दुकान एक दिन में मात्र 1 से 3 घंटे खुलती है।

- सर्वे क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत परिवारों का यह कहना था कि उन्हें राशन दो माह या उससे अधिक अंतराल पर मिलता है। अतः हर माह राशन नही मिलने से उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
- सर्वे क्षेत्र में 11 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके राशन कार्ड अन्य व्यक्ति जैसे डीलर आदि के पास रहते हैं।
- लगभग 86 प्रतिशत परिवारों को निगरानी समीति के सदस्यों के बारे में जानकारी नही है।
- लगभग 20 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड अधूरे इन्द्राज वाले थे या बिल्कुल खाली एवं करीब 29 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं मिले। अतः हम कह सकते है कि क्षेत्र में करीब 50 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड में अनियमिताएं हो सकती है।
- लगभग 51 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके वहां काम के लिये आवेदन की प्रक्रिया स्थापित नहीं है, जिससे पंचायतों की मनमर्जी से ही मजदूरों को काम पर लगाया जाता है।
- करीब 57 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि हम जब काम जरुरत होने पर काम मांगते है तो हमें काम नहीं मिलता है।
- लगभग 27 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके कार्यस्थल के मेट अप्रशिक्षित हैं।
- 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके द्वारा किये गये काम को दैनिक माप प्रपत्र में नही भरा जाता है एवं करीब 9 प्रतिशत परिवार दैनिक कार्यमाप प्रपत्र की व्यवस्था के बारे में नही जानते थे।
- मात्र 11 प्रतिशत परिवारों को ही 80 से 100 रूपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त होती है।
- लगभग 42 प्रतिशत परिवारों को भुगतान 1 से 2 माह में ही मिलता है, जबकि लगभग 37 प्रतिशत परिवारों को तो 2 माह से भी अधिक समय तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है।
- लगभग 50 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का बोर्ड नहीं लगता है।
- लगभग 79 प्रतिशत परिवारों ने कभी भी सामाजिक अंकेक्षण में भाग नहीं लिया और न ही सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के समय सूचना मिली। जबकि 11 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हें सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी नही है।
- लगभग 45 प्रतिशत परिवारों ने बताया उनके गांव में आंगनवाड़ी भवन उपलब्ध है, जबकि लगभग 8 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि आंगनवाड़ी भवन गांव से बाहर स्थित है। जिससे उनके बच्चे, किशोरियां एवं महिलाएं पोषाहार, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नही ले पाते हैं।

- लगभग 18 प्रतिशत परिवारों के अनुसार आंगनवाड़ी भवन महिने में 10 से 20 दिन ही खुला रहता है।
- लगभग 13 प्रतिशत परिवारों के अनुसार उनके यहां के आंगनवाडी केन्द्र में 1–2 कार्यकर्त्ता हैं।
- लगभग 12 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके यहां आंगनवाडी केन्द्र पर स्वास्थ्य की जांच नही होती है।
- लगभग 47 प्रतिशत परिवारों के अनुसार निगरानी समिति तो बनी है, परन्तु सक्रिय नहीं है जबकि शेष करीब 53 प्रतिशत परिवारो के अनुसार उनके यहां के आंगनवाड़ी केन्द्र पर निगरानी समिति नहीं बनी है।
- लगभग 3 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं अन्य लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है।
- सर्वे क्षेत्र के चुने हुए 169 परिवारों में से लगभग 59 प्रतिशत (100 परिवार) परिवारों के बच्चे इस कार्यक्रम के लाभार्थी पाए गए।
- करीब 28 प्रतिशत परिवारों के बच्चों को भोजन पर्याप्त रुप से नही मिलता है।
- लगभग 37 प्रतिशत परिवारों के बच्चों को भोजन मैनु (बदल–बदल कर) के आधार पर नही मिलता है।
- 89 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि भोजन स्थानीय स्तर पर ही बनाया जाता है, जबकि 11 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि भोजन बाहरी ऐजेंसी द्वारा बनाया जाता है।
- लगभग 51 प्रतिशत परिवारों के पास 4 बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जा पाया गया। जबकि शेष के पास 4 बीघा से कम वन भूमि पर कब्जा है।
- 29 परिवारों (लगभग 68 प्रतिशत) के आवेदन, ग्राम सभा स्तर पर ही है, जबकि लगभग मात्र 7 परिवारों (13 प्रतिशत) परिवारों के आवेदन उपखण्ड स्तर पर पहुंचे हैं।
- मात्र 6 परिवारों (करीब 11 प्रतिशत) को ही वन अधिकार मान्यता कानून के तहत अधिकार पत्र प्राप्त हुये।